

वित्त विधेयक, 2018

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2018 के उपबंध, कर आधार को और विस्तृत करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्भवियों के लिए निगमित कर दर को कम करके, व्यक्तिगत आय कर में क्षैतिज साम्या का संवर्धन करके तथा कर प्रशासन में प्रभावकारिता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करके प्रत्यक्ष कर में उत्प्लावकता को गति प्रदान करने का निरंतर उपलब्ध करके आय कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित हैं।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं :-

- (क) आय-कर की दरें
- (ख) कर आधार को गहन और विस्तृत करना
- (ग) साम्या के संवर्धन के उपाय
- (घ) कर प्रोत्साहन
- (ङ) दिवाला समाधान को सुकर बनाना
- (च) कर प्रशासन की प्रभावकारिता को बेहतर करना
- (छ) सुव्यवस्थीकरण उपाय
- (ज) प्रकीर्ण

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत, आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2017 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा :-

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या अधिनियम, की धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में—
 - (i) ऐसे कर की दस प्रतिशत की दर पर, जहां आय अथवा संदत्त आय या संभावित रूप में संदत्त आय का कुल योग और एक करोड़ रुपए से अधिक कटौती के अध्यधीन हो;
 - (ii) ऐसे कर की पंद्रह प्रतिशत की दर पर जहां आय अथवा संदत्त आय या संभावित रूप से संदत्त आय का कुल योग और एक करोड़ रुपए से अधिक कटौती के अध्यधीन हों;
 - (iii) उन मामलों में जहां यह व्यक्ति आय कर अधिनियम की धारा 115जग" के अधीन कर के दायी हैं, उचित दरों पर अधिभार भी उदग्रहणीय होगा।
- (ख) सहकारी समितियों, फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आयकर की रकम को ऐसे आय कर के बारह प्रतिशत की रकम को ऐसे आय कर के बारह प्रतिशत की दर से जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बढ़ाया जाएगा। अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर के लिए प्रभार्य कुल आय वाले ऐसे व्यक्तियों के मामले में और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है बारह प्रतिशत की दर पर प्रभार्य उदग्रहीत किया जाएगा।
- (ग) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—
 - (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
 - (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।
 - (iii) उन मामलों में जहां यह व्यक्ति आय कर अधिनियम की धारा 115जख" के अधीन कर के दायी हैं, उचित दरों पर अधिभार भी उदग्रहणीय होगा।

(घ) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा; और
- (iii) ऐसे मामलों में समुचित दरों पर अधिभार उद्ग्रहीत किया जाएगा जहां कंपनी आय कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर के लिए दायी है।

(ङ) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

(2) सीमांत अनुतोष

सीमांत अनुतोष सभी मामलों में भी प्रदान किया जाता है जहां अधिभार अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(3) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत होता रहेगा। ऐसे उपकरों की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें ।

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2017 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की दशा में स्रोत पर अब कर 10 प्रतिशत की दर पर काटा जाएगा।

(1) अधिभार

किसी अनिवासी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा—

(क) किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यक्ति का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा —

- (i) ऐसा कर दस प्रतिशत की दर पर है, जहां आय या ऐसी आयों का कुल संदत्त है या संदत्त होने वाला है और कटौती के लिए अध्यक्षीन होगा यदि पचास लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है;
- (ii) ऐसा कर पंद्रह प्रतिशत की दर पर है जहां आय या ऐसी आयों का कुल संदत्त है या संदत्त होने वाला है और कटौती के लिए अध्यक्षीन होगा यदि एक करोड़ रुपए से अधिक है; और

(ख) किसी फर्म या सहकारी सोसाइटी की दशा में ऐसे कर का बारह प्रतिशत, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है।

किसी देशी कंपनी से भिन्न अन्य किसी कंपनी की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार भी निम्नलिखित दर से बढ़ाया जाएगा—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ से अधिक है किन्तु दस करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे कर का दो प्रतिशत;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ से अधिक है, ऐसे कर का पांच प्रतिशत।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) शिक्षा उपकर

"आय-कर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" को जारी नहीं रखा जाएगा। तथापि "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" के नाम से एक नया उपकर भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों भी हैं, जहां तहां लागू हो, अधिभार सहित आयकर की चार प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत की जाएगी।

III. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने

वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं। उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैरों में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को —

(i) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा, और

(ii) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, ऊपर (i) की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक की आय लेकिन एक करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है।

और उपर (ii) की दशा में, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसायटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर, यदि पूर्व वर्ष 2016-17 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति पचास करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। किसी देशी कंपनी की दशा में सात प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, सभी मामलों में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकरों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2, पहली अनुसूची]

ख. कर आधार को गहन और विस्तृत करना

कतिपय मामलों में स्थायी खाता संख्यांक के लिए व्यक्तियों द्वारा आवेदन करना

धारा 139क, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जिसे स्थायी खाता संख्यांक (पीएएन) आबंटन नहीं किया गया है, निर्धारण अधिकारी को स्थायी खाता संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगा।

गैर व्यष्टिक व्यक्तियों के लिए पीएएन को यूनीक एन्टिटी नम्बर (यूईएन) के रूप में उपयोग करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यष्टिक नहीं है, जो किसी वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपये या उससे अधिक की रकम का वित्तीय संव्यवहार करता है, से पीएएन के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करना अपेक्षित होगा।

वित्तीय संव्यवहारों को प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ जोड़ने के लिए, यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संप्रवर्तक कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी, या पदधारी या कोई व्यक्ति पीएएन के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को भी आवेदन करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 42]

लाभांश के प्रयोजनों के लिए संचयी लाभों के दायरे को विस्तृत करना

अधिनियम की धारा 2 में अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं। उक्त धारा का खंड (22) पद लाभांश की एक समेकित परिभाषा संचयी लाभों (चाहे पूंजीकृत हो या नहीं) को किसी कंपनी द्वारा इसके शेयरधारकों को किसी वितरण के रूप में उपबंधित करता है, चाहे वह निम्नलिखित में से किसी भी प्रकृति का हो,—

(क) इसकी सभी या किन्हीं आस्तियों का निर्गम

(ख) (ब्याज सहित या उसके बिना) किसी भी रूप में डिबेंचरों को जारी करना या इसके अधिमानी शेयरधारकों को बोनस का वितरण;

(ग) परिसमापन पर आगमों का वितरण;

(घ) पूंजी की कमी पर, या

(ड) गैर सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, 10% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक को दिए गए ऋण या अग्रिम या किसी सहबद्ध को जिसमें ऐसे शेयरधारक का साखाना हित (शेयरधारिता या ब्याज का 20% से अधिक) है या ऐसे शेयरधारक की ओर से या उसके व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसी कंपनी द्वारा कोई संदाय।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2 उक्तखंड के प्रयोजनों के लिए संचयी फायदे पद की परिभाषा का उपबंध कतिपय शर्तों के अधीन वितरण की या संदाय की या परिसमापन की तारीख तक कंपनी के सभी फायदों के रूप में करता है।

ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कंपनियां वितरित फायदों पर कर संदाय के दायित्व से बचने के लिए कंपनियों द्वारा दुरुपयोग हेतु व्यवस्था की जा रही है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत बड़े संचयी फायदों वाली कंपनियां पूंजी को घटाने के लिए समामेलन का रास्ता अपनाती हैं और आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (घ) के उपबंधों की परिवचना करती हैं। ऐसे दुरुपयोग और समान अन्य दुरुपयोग व्यवस्था को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) में नए स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समामेलन की दशा में समामेलित कंपनी के हाथों में संचयी फायदे समामेलन की तारीख को समामेलन करने वाली कंपनी के संचयी फायदों द्वारा बढ़ाए जाएंगे, चाहे वह पूंजीबद्ध हो या नहीं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

लाभांश वितरण कर का मानित लाभांश को लागू होना

वर्तमान में कंपनी द्वारा वितरित लाभांश ऐसी कंपनी द्वारा संदेय लाभांश वितरण कर के अधीन है। तथापि, अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ड) के अधीन समझा गया लाभांश, लागू मार्जिनल दरों पर प्राप्तकर्ता पर भारित किया जाता है। प्राप्तकर्ता को, समझे गए लाभांश की कराधेयता ने कर दायित्व के संग्रहण में गंभीर समस्या उत्पन्न की है और यह अत्याधिक मुकदमेबाजी का विषय भी रहा है।

मानित लाभांशों के करारोपण में स्पष्टता और निश्चितता लाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 115थ के पश्चात आने वाले अध्याय 12घ के स्पष्टीकरण को हटाने का प्रस्ताव है जिससे मानित लाभांश को धारा 115ण के अधीन लाभांश वितरण कर के दायरे में लाया जा सके और विभिन्न तरीकों से छलावरण वाले लाभांशों को रोकने के लिए जैसे ऋण और अग्रिम के माध्यम से, ऐसे समझे गए लाभांश को 30% की दर पर करारोपित करने का प्रस्ताव है (कुल योग के बिना)।

समझे गए लाभांश पर लाभांश वितरण कर को अधिरोपित करने से संबंधित यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात किए गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ड) में निर्दिष्ट संव्यवहारों को लागू होगी।

[खंड 38 और 39]

साम्या शेरों आदि के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के कराधान के लिए नई व्यवस्था

विद्यमान व्यवस्था के अधीन, अधिनियम की धारा 10 के खंड 38 के अधीन, सूचीबद्ध कंपनियों या साम्योन्मुखी निधि या कारबार न्यासों की इकाई होकर, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, आय-कर से छूट प्राप्त हैं। तथापि, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों में संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) के दायी हैं। परिणामस्वरूप, यह व्यवस्था विनिर्माण के विरुद्ध गहन रूप से द्वेषपूर्ण है और इससे वित्तीय आस्तियों में निवेश के अपवर्तन को प्रोत्साहन मिला है। इससे कर आधार में महत्वपूर्ण क्षरण हुआ है और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है। यह समस्या इन छूटों द्वारा पैदा किए गए कर मध्यक अवसरों के दुरुपयोग से और बढ़ गई है।

आर्थिक विरूपण को कम करने और कर आधार के क्षरण को रोकने के लिए, धारा 10के खंड (38) के अधीन छूट समाप्त करने तथा अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों, जो किसी कंपनी में साम्या शेर हैं या साम्योन्मुखी निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई होकर एक लाख रुपये से अधिक होने पर ऐसी पूंजी आस्तियों के 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय होगी, का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 112क को जोड़ने के लिए है।

10 प्रतिशत की रियायती दर ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को लागू होगी, यदि—

(i) किसी मामले में जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति किसी कंपनी में साम्या शेर की प्रकृति की है, प्रतिभूति संव्यवहार कर ऐसी पूंजी आस्ति के अर्जन और अंतरण दोनों पर संदत्त किया गया है; और

(ii) किसी मामले में जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति साम्योन्मुखी निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई की प्रकृति की है, प्रतिभूति संव्यवहार कर ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदत्त किया गया है।

और, नई धारा 112क की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा अर्जन की प्रकृति विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करती है जिसके संबंध में किसी कंपनी में साम्या शेर के मामले में प्रतिभूति संव्यवहार कर के संदाय की अपेक्षा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण के समय एसटीटी के संदाय की अपेक्षा जो साम्योन्मुखी निधि इकाई या कारबार न्यास इकाई होकर, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण के समय लागू नहीं होगी यदि अंतरण किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है और ऐसे अंतरण का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में प्राप्त या प्राप्य होता है।

इसके अतिरिक्त धारा 112क के नए उपबंध निम्नलिखित का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हैं—

(i) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक को प्रभावी किए बिना संगणित किया जाएगा, अथात्, अर्जन की लागत और सुधार की लागत के संबंध में मंहगाई सूचकांक, यदि कोई हो, और अनिवासी के मामले में विदेशी मुद्रा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के फायदे अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ii) 1 फरवरी, 2018 के पहले निर्धारित द्वारा अर्जित दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के संबंध में अर्जन की लागत निम्नलिखित से उच्चतर समझी जाएगी—

(क) ऐसी आस्ति के अर्जन की वास्तविक लागत; और

(ख) निम्नलिखित में निम्नतर समझी जाएगी

- (I) ऐसी आस्ति की रिजु बाजार कीमत; और
- (II) पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उदभूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य;
- (iii) "साम्योन्मुखी निधि" धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन पारस्परिक निधि की स्कीम के अधीन गठित निधि के रूप में परिभाषित की गई है और,—
- (क) उस मामले में जहां निधि का निवेश किसी अन्य निधि की इकाई में होता है जिसका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है,—
- (I) ऐसी निधियों की कुल आगमों का न्यूनतम 90 प्रतिशत को ऐसी अन्य निधि की इकाई में निवेश किया जाता है, और
- (II) ऐसी अन्य निधि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों के साम्या शेरों में इसके कुल आगमों का न्यूनतम 90 प्रतिशत भी निवेश करती है; और
- (ख) किसी अन्य मामले में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों के साम्या शेरों में ऐसी निधि के न्यूनतम 65 प्रतिशत निवेशित होता है;
- (iv) रिजु बाजार मूल्य से निम्नलिखित अभिप्रेत है—
- (क) उस मामले में जहां पूंजी आस्ति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, 31 जनवरी, 2018 को ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति की उच्चतम कीमत, 31 जनवरी, 2018 के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति की उच्चतम कीमत, जब ऐसी आस्ति का व्यापार ऐसे एक्सचेंज में किया गया, फेयर मार्केट वैल्यू होगी; और
- (ख) किसी मामले में जहां पूंजी आस्ति एक इकाई है और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, 31 जनवरी, 2018 को ऐसी आस्ति का कुल आस्ति मूल्य; और
- (v) अध्याय VI के अधीन कटौती का फायदा ऐसे पूंजी अभिलाभों द्वारा कम की गई सकल कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी। इसी प्रकार धारा 87क के अधीन रिबेट ऐसी पूंजी आस्तियों पर संदेय कर द्वारा कम की गई कुल आय पर आय-कर अनुज्ञात किया जाएगा।
- ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5 और 31]

साम्या उन्मुखी निधि में यूनिट धारकों को लाभांश देने पर लाभांश वितरण कर

धारा 115द के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ इसके यूनिट धारकों को विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि के द्वारा किसी आय की रकम वितरित किए जाने पर कर प्रभाय होगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि धारा में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर संदत्त करने की दायी होगी। यद्यपि, उक्त धारा के अधीन साम्या उन्मुखी निधि के यूनिट धारक को वितरित किसी आय के संदर्भ में कर प्रभाय है।

साम्योन्मुखी निधियों के यूनिट धारकों के लिए नई पूंजी अभिलाभ कर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वृद्धि उन्मुखी निधि और लाभांश संदाय निधि के बीच में अनुकूल वातावरण का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धारा का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि यह उपबंध किया जाए कि जहां पारस्परिक निधि द्वारा साम्या उन्मुखी निधि के रूप में किसी आय का वितरण किया जाता है, पारस्परिक निधि इस तरह से वितरित आय दस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर संदत्त करने का दायी होगा। इस प्रयोजन के लिए, साम्या उन्मुखी निधि से वही अभिप्रेत है जो इसे अधिनियम की नई धारा 112क में समनुदेशित किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगा।

[खंड 40, 41 और 214]

विदेशी संस्थागत निवेशक के मामले में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का कराधान

अधिनियम की धारा 115कघ के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि जहां विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) की कुल आय में कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ द्वारा आय भी शामिल है ऐसा पूंजी अभिलाभ दस प्रतिशत की दर से कर के लिए प्रभाय रहेगा। तथापि, सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों के साम्य शेर होने पर दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ या कंपनी के साम्या शेर या साम्य उन्मुखी निधि की कोई इकाई या कारबार न्यास की कोई इकाई पर अधिनियम की धारा 10 के खंड (38) के अधीन आय कर से छूट है।

अधिनियम की धारा 10 के खंड (38) के अधीन छूट को वापिस लेने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, ऐसा दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ एफआईआई के हाथों में भी कराधेय हो जाएगा, जैसे कि घरेलू निवेशकों के मामले में होता है, एफआईआई केवल एक लाख रुपये से अधिक ऐसे अभिलाभ पर कर के लिए दायी होगा। धारा 115कघ के उपबंधों को तदनुसार संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

कतिपय छूट प्राप्त अस्तित्वों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती और संदाय की रीति

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का तीसरा परंतुक उस मामले में जहां सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ऐसी आय लागू या संचित की जाती है, उक्त खंड के उपखंड (iv) या (v) या (vi) अथवा (vik) में निर्दिष्ट अस्तित्वों की आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा 11 मूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से आय के संबंध में भी उपबंध अंतर्विष्ट करता है।

वर्तमान में, पूर्त या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं द्वारा नकद में किए गए संदायों पर कोई निर्बंधन नहीं है। इसपर भी कोई रोक नहीं है कि क्या ऐसे न्यास या संस्थाएं अधिनियम के अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर करकी कटौती के उपबंधों का अनुसरण करते हैं। इससे आय के उपयोजन के लिए संपरीक्षा पथ की कमी हुई है।

कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा काले धन को उत्पन्न होने तथा प्रवाहित होने को कम करने के लिए, धारा 11 में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आय के उपयोजन को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 40के खंड (क) के उपखंड (1क), धारा 40क की उपधारा (3) और (3क) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जैसे वे मद "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभावी आय की गणना में लागू होते हैं।

धारा 10 के खंड (23ग) में भी समान परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे आय के उपयोजन के संबंध में उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vिक) के अधीन छूट प्राप्त अस्तित्वों पर ऊपर वर्णित के समान ही समान निर्बंधनों का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निधआरण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5 और 6]

बहुउपयोगी लिखत (एमएलआई) के अनुसार उपांतरित पीई नियम के साथ "कारबार" संबंध

धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण-2 के विद्यमान उपबंधों के अधीन "कारबार संबंध" पद में निर्भर एजेंटों के माध्यम से अनिवासी द्वारा किए गए कारबार, क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। आय-कर अधिनियम के अधीन "कारबार संबंध" का दायरा भारत के दोहरे कराधान परिवर्जन करारों (डीटीए) में निर्भर एजेंट स्थाई स्थापन (डीएपीई) से संबंधित उपबंधों के समान हैं। कर संधियों में डीएपीई नियमों के निर्बंधनानुसार यदि अनिवासी की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अनिवासी के लिए जानबूझकर संविदा के लिए प्राधिकृत है तो ऐसा एजेंट स्रोत देश में पी.ई. का गठन करेगा। तथापि कई मामलों में डी.टी.ए.ए. के अनुच्छेद 5(5) के अधीन स्थाई स्थापन की स्थापना से बचने की दृष्टि से अनिवासी की ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति संविदा की बातचीत करता है किंतु संविदा का निर्णय नहीं करता और डीटीए के आर्टिकल 5 के पैरा 4 के अधीन पीई को विद्यमान नहीं समझा जाता जब कारबार का स्थान कतिपय क्रियाकलापों में पूर्णतया लगा होता है जैसे भण्डारण के लिए मालों के स्टॉक का रखरखाव, प्रदर्श, परिदान या प्रसंस्करण, माल या मर्चेडाइज की खरीदी, सूचना का संग्रहण। यह परिवर्तन केवल तभी लागू होगा जब ये क्रियाकलाप पूर्ण कारबार के संबंध में तैयारी वाले या सहायक हों।

ओईसीडी ने वीडिपीएस एक्शन प्लान 7 के अधीन पीई की परिभाषा का पुनर्विलोकन किया करदाता कार्यों के विखण्डन की ओर तत्पर हो सकता है जो अन्यथा आर्टिकल 5(4) के अधीन छूट से लाभ प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण क्रियाकलाप है। ऐसी कर से बचने वाली स्कीमों के समाधान के लिए ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, 2017 के आर्टिकल 5 के पैरा 4.1 के अनुसार प्रति विखण्डन नियम लागू करने के लिए बीईपीएस के एक्शन प्लान 7 ने सिफारिश की है।

आधार क्षरण और लाभ अंतरण से बचने के लिए बीईपीएस एक्शन प्लान 7 के अधीन उपरोक्त सिफारिशें मल्टीलेटरल कंवेन्शन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी से संबंधित उपायों के आर्टिकल 12 में सम्मिलित किया गया है (जिसे इसमें एमएलआई कहा गया है), जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, दूसरे शब्दों में ये उपबंध एमएलआई से अंतर्गत आने वाली भारत की द्विपक्षीय संधियों में स्वतः ही अंतःस्थापित हो जाएंगे, जहां संधि के भागीदार ने आर्टिकल 12 का विकल्प दिया है। परिणामस्वरूप, एमएलआई द्वारा उपांतरित भारत की कर संधि के आर्टिकल 5(5) में टिपेंडेंट एजेन्ट पीई उपबंध धारा 9(1)(झ) के स्पष्टीकरण 2 में वर्तमान उपबंधों से विस्तृत होंगे। इसी प्रकार, ओईसीडी मॉडल टैक्स कंवेन्शन, 2017 के आर्टिकल 5 के पैरा 4.1 के अनुसार लागू प्रति विखण्डन नियम, जिसने आर्टिकल 5(4) के अधीन अपवाद के दायरे को संकीर्ण किया है, स्पष्टीकरण 2 में अंतर्विष्ट घरेलू उपबंधों के दायरे को विस्तृत किया है। तथापि, धारा 90(2) को दृष्टिगत रखते हुए, इस संबंध में घरेलू विधि के उपबंध अधिक लाभप्रद होने के कारण तत्स्थानी संधि उपबंधों पर अभिभावी होंगे।

उपरोक्त की दृष्टि में, यह अधिनियम की धारा 9 के उपबंध के संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे एमएसआई द्वारा उपांतरित रूप में डीटीए के उपबंधों के साथ उनको संरेखित किया जा सके जिससे उपबंधों को प्रभावी बनाया जाए। तदनुसार, एमएलआई के अधीन किए गए उपांतरणों के आलोक में डीटीए में पीई का दायरा यद्यपि बढ़ गया है, भारतीय संदर्भ में इसे लागू करने के लिए उपांतरित संधि उपबंधों के साथ संरेखित करने के लिए धारा 9(1)(i) के अनुसार घरेलू विधि की स्थिति के दायरे को बढ़ाने के लिए यह अभी भी अपेक्षित होगा।

तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 9(1)(झ) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "कारबार संबंध" पद में उस व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कारबार गतिविधियां भी सम्मिलित होंगी, जो अनिवासी की ओर से कार्य करते हुए स्वेच्छया निश्चायक संविदा करता है या स्वेच्छया मुख्य भूमिका अदा करता है जिससे अनिवासी द्वारा संविदा निश्चित की जाती है। और ये प्रस्ताव हैं कि संविदाएं निम्नलिखित तरीके से होनी चाहिए—

(i) अनिवासी के नाम पर, या

(ii) स्वामित्व के अंतरण के लिए या उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने के लिए, वह संपत्ति जिसका स्वामी अनिवासी है या अनिवासी को उपयोग का अधिकार है; या

(iii) उस अनिवासी द्वारा सेवाओं के उपबंध के लिए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

"महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" परीक्षण को सम्मिलित करने के लिए कारबार संबंध

"कैलिफोर्निया में वृक्षों पर लगे हुए संतरों से आय अर्जित नहीं होती जब तक कि उन्हें तोड़ा न जाए, तोड़ने के पश्चात पैक न किया जाए, पैक करने के पश्चात उनका परिवहन उस स्थान तक न किया जाए, जहां उनकी मांग है और जब तक कि उन्हें उपभोक्ता के उपयोग के लिए न रख दिया जाए। ये अवस्थाएं, उस बिन्दु तक जहां धन की आवक हो, विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा साझा किया जा सकता है"। (शुरुआती 1920 में लीग ऑफ नेशंस को प्रस्तुत दोहरे कराधान पर रिपोर्ट से उद्धरण)

तदनुसार निवास और स्रोत देश दोनों कराधान के अधिकार का दावा करते हैं।

इसलिए, आर्थिक सहबद्धता के आधार पर कारबार लाभों का करारोपण सदैव विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय करारधान नियमों का आधार रहा है। अर्थशास्त्रियों ने भौतिक प्राप्ति के बजाय आर्थिक सहबद्धता को प्राथमिकता दी है और यह स्पष्ट किया है कि भौतिक उपस्थिति उस सीमा तक ही महत्वपूर्ण है जहां तक यह आर्थिक प्राप्ति को दर्शाती करती है।

सधारणतया डीटीए के आर्टिकल 7 के अधीन कर नियम के बंटवारे के अनुसार, किसी उपक्रम के कारबार लाभ उस देश में कराधेय हैं जिसमें करदाता कर निवासी है। अन्य देश भी कारबार लाभ को करारोपित कर सकता है यदि उपक्रम उसमें अवस्थित "स्थायी स्थापन" के माध्यम से दूसरे देश में अपना कारबार करता है। यदि उपक्रम पूर्वोक्त वर्णित कारबार करता है, तो वे लाभ जो स्थायी स्थापन से हुए हैं, उस अन्य राज्य में करारोपित किए जा सकेंगे। "स्थायी स्थापन" से "कारबार का नियत स्थान" अभिप्रेत है जिसके माध्यम से किसी उपक्रम का कारबार पूर्णतः या भागतः किया जाता है, परंतु कारबार क्रियाकलाप तैयारी या सहबद्ध प्रकृति का न हो और ऐसे कारबार क्रियाकलाप किसी निर्भर एजेंट द्वारा न चलाए जा रहे हों।

लंबे समय से, भौतिक उपस्थिति के आधार पर संबंध अनिवासी की नियमित आर्थिक सहबद्धता के परोक्षी के तौर पर चलन में था। भौतिक उपस्थिति पर आधारित पीई नियम अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस सीमा तक निरंतर बने रहे जब पश्चात्पूर्ती अधिकतर भौतिक रहा। तथापि, पिछले कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार से कारबार माडल को डिजिटल मीडियम में प्रचालित होने के लिए बदल दिया है, जहां अनुवासी उपक्रम उस देश में भौतिक, उपस्थिति के बिना दूसरे देश के उपभोक्ताओं से संवाद करता है जिसके परिणामस्वरूप स्रोत देश में करारधान से बचता है। इसलिए भौतिक उपस्थिति पर आधारित विद्यमान संबंध नियम डिजिटल अर्थव्यवस्था में कारबारों के लिए स्रोत देश में कारबार लाभों के करारधान के लिए अब अच्छे नहीं माने जाते। परिणामस्वरूप कारबार लाभों के करारधान के स्रोत देश के अधिकार, जो इसकी अर्थव्यवस्था से व्यत्पन्न हैं, अत्रजु और अनुचित रूप से निर्बंधित हैं।

ओईसीडी ने अपने बीईपीएस एक्शन प्लान 1 में डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान किया। प्राथमिक रूप से डिजिटल कारबार पर भौतिक उपस्थिति आधारित कर संबंध नियम, आय की प्रकृति और उपभोक्ता डाटा तथा अभिदाय के लागू न होने से संबंधित डिजिटल अर्थव्यवस्था से वृहद कर चुनौतियों के मुद्दे पर, एक्शन प्लान 1 रिपोर्ट ने कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क का सुझाव नहीं दिया है। तथापि इसने डिजिटल कारबार में आने वाली प्रत्यक्ष कर चुनौतियों का सामना करने के लिए कई विकल्पों का सुझाव दिया है। ऐसा ही एक विकल्प "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" पर आधारित नया संबंध नियम है। एक्शन प्लान 1 रिपोर्ट के अनुसार, कोई अनिवासी उपक्रम किसी देश में कराधेय उपस्थिति का सृजन करेगा यदि वह उस देश में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति इस कारक के कारण रखता है जो प्रौद्योगिकी और अन्य आटोमेटेड उपकरणों की सहायता से अर्थव्यवस्था से उद्देश्यपूर्ण और सारवान संवाद करता है। यह और सिफारिश की गई है कि राजस्व कारक को उपरोक्त कारकों से संयोजित करके उपयोग किया जा सकेगा जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को अवधारित किया जा सके।

धारा 9(1) (i) के विद्यमान उपबंधों का दायरा निर्बंधनकारी है क्योंकि यह अधिकतर भारत में अनिवासी की कारबार आय के करारधान के लिए भौतिक उपस्थिति पर आधारित संबंध नियम का समाधान करता है। उपरोक्त धारा का स्पष्टीकरण 2, जो "कारबार संबंध" को परिभाषित करता है, भी संकीर्ण है क्योंकि यह केवल निर्भर एजेंटों के माध्यम से किए जा रहे कतिपय क्रियाकलापों या संव्यवहारों की कराधेयता का उपबंध करता है। इसलिए, उभरते कारबार माडल जैसे डिजिटल इज्ज कारबार जिनमें स्वयं की या किसी एजेंट की भारत में उपस्थिति अपेक्षित नहीं है, अधिनियम की धारा 9 (1) (ii) के दायरे के अधीन नहीं आता।

इसको दृष्टिगत रखते हुए, डिजिटल अर्थव्यवस्था में कारबार के करारोपण के मुद्दे के समाधान की आवश्यकता है जिसे अधिनियम की धारा (1) (ii) के स्पष्टीकरण 2 में यथा अंतर्विष्ट "कारबार संबंध" का दायरा बढ़ाकर तथा इसके दायरे में अनिवासी की "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" को सम्मिलित करके भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू विधि में "कारबार संबंध का विस्तृत दायरा "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" के रूप में नए संबंध नियम को सम्मिलित करने के लिए भारत के संधि समझौते को सुकर बनाएगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आय-कर अधिनियम की धारा 9(1) (i) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत में अनिवासी का "कारबार संबंध" का गठन करेगी और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

(i) भारत में अनिवासी द्वारा किन्हीं मालों, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार, जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर का डाउनलोड भी है यदि ऐसे संव्यवहार (रों) से उद्भूत संदायों का कुल योग पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यथा विहित रकम से अधिक है, या

(ii) भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यवस्थित ढंग से और निरंतर कारबार क्रियाकलाप करना या ऐसी संख्या में उपयोक्ताओं से संवाद करना जो विहित किया जाए।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि केवल उत्तनी आय जो ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी जाएगी। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का गठन करेंगे; चाहे अनिवासी भारत में निवास या कारबार का स्थान रखता हो या भारत में सेवाएं देता हो अथवा नहीं।

घरेलू विधि में प्रस्तावित संशोधन भारत को "दोहरे करारधान, परिवर्जन करारों में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" के रूप में नए संबंध नियम को सम्मिलित करने हेतु बातचीत करने के लिए समर्थ बनाएगा। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उपरोक्त शर्तें पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं। तथापि, भारत में "राजस्व" और "उपभोक्ता" का प्रारंभ पणधारियों से परामर्श के पश्चात् निश्चित किया जाएगा। यह और, भी वर्णित किया जा सकता है कि यदि डीटीए में पीई नियमों में आवश्यक उपांतरण नहीं किए जाते तो क्रास बोर्डर कारबार लाभ विद्यमान संधि नियमों के अनुसार कराधेय बने रहेंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

कारबार या रोजगार के संबंध में क्षतिपूर्ति की कराधेयता

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अधिनियम की धारा 28 के अधीन कतिपय प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्ति का कारबार आय के रूप में कराधेय है। तथापि धारा 28 के खंड (ii) के विद्यमान उपबंधों, जहां तक क्षतिपूर्ति के करारधान का संबंध है, का दायरा निर्बंधित है, कारबार और नियोजन के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्ति का बड़ा हिस्सा करारधान के दायरे से बाहर है जिससे आधार क्षरण और राजस्व हानि होती है।

इसलिए, आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया सके कि कारबार से संबंधित किसी करार के निबंधन और शर्तों की समाप्ति या उपांतरण के संबंध में, चाहे वह राजस्व या पूंजी की प्रकृति का हो, कारबार आय के रूप में कराधेय होगा। यह और भी प्रस्ताव है क रोजगार से संबंधित किसी करार के निबंधनों और शर्तों की समाप्ति या उपांतरण के संबंध में राजस्व या पूंजी की प्रकृति की प्राप्त या प्राप्य कोई क्षतिपूर्ति, आय-कर अधिनियम की धारा 56 के अधीन कराधेय होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3, 9 और 21]

भारी माल वाहनों के मामले में धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय

धारा 44कड, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि लाभ और अभिलाभ प्रत्येक माल कैरिज के लिए सात हजार पांच सौ रुपये या समान रकम प्रति मास या मास के भाग के लिए या निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित दावाकृत रकम, जो भी उच्चतर हो, समझी जाएगी। वर्तमान परिकल्पना आय स्कीम समान रूप से सभी वर्गों के माल कैरिज को लागू है, चाहे उनकी टर्नेज क्षमता कुछ भी हो। केवल एक शर्त जिसे पूर्ण करने की आवश्यकता होती है वह यह है कि निर्धारिती के स्वामित्व में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 से अधिक माल कैरिज नहीं होना चाहिए। तदनुसार, परिवहनकर्ता, जिनके पास (10 से कम) बड़ी क्षमता/ आकार वाले माल कैरिज वाहन हैं, भी धारा 44कड का फायदा ले रहें हैं। यह वर्णन करना यहां आवश्यक है कि इस उपबंध को करने का विधायी आशय छोटे परिवहनकर्ता को फायदा देना था जिससे उनके अनुपालन बोझ को कम किया जा सके। यद्यपि बड़ी क्षमता वाले माल कैरिज के लाभ की दरें छोटी क्षमता वाले माल कैरिज के लाभ की दरों से अधिक हैं, उनके कर परिणाम समान हैं जो कर साम्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आय-कर अधिनियम की धारा 44कड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारी माल वाहनों (12एमटी कुल वाहन भार से अधिक) के मामले में, आय कुल वाहन भार के प्रति टन या गैर लदे भार के एक हजार रुपये के बराबर रकम यथास्थिति, प्रति मास या मास के भाग के लिए प्रत्येक माल कैरिज के लिए या निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित दावाकृत रकम, जो भी उच्चतर हो, समझी जाएगी। भारी माल वाहन से भिन्न अन्य वाहनों पर करारोपण विद्यमान दरों के अनुसार जारी रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

ग - साम्या के संवर्धन के उपाय

समाज के कतिपय भाग विशिष्ट रूप से वैयक्तिक परिस्थितियां जैसे स्वास्थ्य, आय का स्थिर स्रोत, और नियोजन के संबंध में अनुषंगी व्यय की उच्चतर लागत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों और वैतनिक कर दाताओं का अनुतोष प्रदान करने के द्वारा कम प्रणाली के क्षैतिज सम्या में सुधार करने के लिए कतिपय परिवर्तन को भी प्रस्तुत किया गया है। इस परिवर्तनों में निम्नलिखित पैरा में विचारविमर्श किया गया ;

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और चिकित्सा उपचार के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कटौतियां

धारा 80घ अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के होने पर किसी वरिष्ठ नागरिक या ऐसे व्यक्ति के चिकित्सा व्यय के स्वास्थ्य बीमा पालिसी के वार्षिक प्रीमियम के संदाय के संबंध में किसी निर्धारिती को 30,000/- रुपए तक की कटौती की जाएगी। 30,000/- हजार रुपए से 50,000/- हजार रुपए की कटौती की धनीय सीमा बढ़ाने के लिए धारा 80घ का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के एकल प्रीमियम के मामले में, यह प्रस्ताव किया जाता है क कटौती वर्षों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा जिसके लिए विनिर्दिष्ट धनीय सीमा के अध्यधीन स्वास्थ्य बीमा कवल का उपबंध किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 219 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 24]

विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सीय उपचार के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु कटौती का संवर्धन

अधिनियम की धारा 80घघख अनय बातों के साथ उपबंध करती है कि अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु संदेय रकम के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए 80,000/- हजार रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में 60,000/- हजार रुपए तक कटौती विद्यमान है। अधिनियम की धारा 80घघख के उपबंध को संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए 100,000/- लाख रुपए कटौती की धनीय सीमा को बढ़ाकर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 219 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25]

वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय के संबंध में कटौती

वर्तमान में, 10,000/- रुपए तक की कटौती, बचत खाते से ब्याज आय के संबंध में किसी निर्धारिती के लिए धारा 80ददक के अधीन अनुज्ञात की जाती है। जिससे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा धारित निक्षेपों से ब्याज आय के संबंध में 50,000/- रुपए तक की कटौती अनुज्ञात करके नई धारा 80ददख को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है। तथापि, धारा 80ददक के अधीन कोई कटौती इन मामलों में नहीं अनुज्ञात की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह, धारा 194क का भी संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे, 10,000/- रुपए से 50,000/- रुपए करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर स्रोत के कर की कटौती के लिए धनीय अब सीमा को बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 29, 30 और 47]

वेतन आय की मानक कटौती

धारा 16 "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना में कतिपय कटौती के लिए उपबंध करती है। वैतनिक करदाता को अनुतोष प्रदान करने के क्रम में यातायात भत्ता और चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति में वर्तमान छूट के बदले में 40,000/- हजार रुपए तक की मानक कटौती को अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव करती है। परिणामस्वरूप (भिन्न रूप से समर्थ - व्यक्तियों के सिवाय) यातायात भत्ता और चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में वर्तमान छूट को वापिस लिए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7 और 8]

घ कर प्रोत्साहन

फसल उत्पाद कंपनियों की आय के संबंध में कटौती

धारा 80त सहकारी समिति के लाभ के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है जो प्राथमिक कृषि क्रियाकलाप में लगे हुए इसके सदस्यों के लिए सहायता का उपबंध करती है।

यह, 100 करोड़ रुपए तक कुल टर्नओवर को रखते हुए जिसकी सकल कुल आय में निम्नलिखित से कोई आय सम्मिलित है, फसल उत्पाद कंपनियों (एफपीसी) के लिए समान फायदे के विस्तार के लिए प्रस्तावना करती है।

- इसके सदस्यों द्वारा कृषि उत्पादन का विपणन, या ;
 - उनके सदस्यों के लिए उनको आपूर्ति के उद्देश्य के लिए कृषि उपकरण, बीज, पशुधन या कृषि के लिए आशयित अन्य वस्तुओं का विक्रय; या
 - इसके सदस्यों के कृषि उत्पाद की कार्यवाहियों फायदा, वित्तीय वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।
- फायदे, वित्तीय वर्ष 2018-19 से पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

स्टार्ट-अप के संवर्धन के उपाय

अधिनियम की धारा 80-झकग, अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कटौती, योग्य स्टार्ट-अप को सात वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित के विकल्प पर उपलब्ध करवाई जाएगी, यदि —

- यह 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व निगमित हुआ है;
- किसी पूर्व वर्ष में, जो 1 अप्रैल, 2016 या उसके पश्चात् आरंभ हुए हैं, और 31 मार्च, 2021 को खत्म हो रहा है में इसके कारबार की कुल आवर्त पच्चीस करोड़ से अधिक नहीं होती है।
- यह योग्य कारबार में लगा हुआ है जिसमें नवपरिवर्तन, विकास, तैनाती या नए उत्पाद, प्रक्रिया या तकनीक द्वारा चलित सेवाएं या बौद्धिक संपदा का वाणिज्यिकरण अंतर्लित है।

भारत में स्टार्ट-अप के संवर्धन के लिए स्कीम की प्रभावकारिता को सुधारने के लिए, स्टार्ट-अप के लिए कर व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन करना प्रस्तावित है —

- फायदे संवर्धन 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् परंतु 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व निगमित स्टार्ट-अप को भी फायदे उपलब्ध होंगे।
 - आवर्त का 25 करोड़ से अधिक न होने की अपेक्षा निगमन की तारीख से प्रारंभ करते हुए पूर्व सात वर्षों पर लागू होगी।
 - योग्य कारबार की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिससे उपबंध हो जाए कि फायदे उपलब्ध होंगे यदि वह नवपरिवर्तन, विकास या उत्पाद सुधार या प्रक्रिया या सेवाएं या स्केलेबल कारबार माडल, जिसमें रोजगार सृजन के साथ पूंजी पैदा करने की उच्च संभाव्य में लगा हुआ है।
- संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 26]

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएफसी) के संवर्धन के उपाय

अधिनियम की धारा 47 कतिपय अंतरण के संबंध में कर उदासीनता के लिए उपबंध करती है।

भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास के संवर्द्धन के क्रम में, अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित मान्यता प्राप्त स्टाक विनिमय पर किसी अनिवासी द्वारा निम्नलिखित आस्तियों में अंतरण का उपबंध करने के लिए, अंतरण नहीं माना जाएगा, यदि विदेशी मुद्रा में प्रतिफल संदाय किया जाता है या संदेय है :-

- धारा 115कग की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट के रूप में बांड या ग्लोबल डिपॉजिटरी सिसिप्ट; या
- किसी भारतीय कंपनी के रुपए डिनामिनेटेड बांड; या
- विनिधानकर्ता

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 115जग और गैर कारपोरेट व्यक्ति के मामले में कुल आय के समायोजित के 18.50 प्रतिशत की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का उपबंध करती है।

भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास के संवर्धन के क्रय में, धारा 115जग का संशोधन करने का और प्रस्ताव करती है जिससे उपबंध किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित इकाई के मामले में, धारा 115जग के अधीन वैकल्पिक न्यूनतम कर 9 प्रतिशत की दर पर प्रभावी होगा।

धारा 115जच में पारिणामिक संशोधन भी किए जाने का प्रस्ताव करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17, 36 और 37]

रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन

वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 80जजकक के अधीन, योग्य कर्मचारी जो वर्ष के दौरान निम्नतम 240 दिन के लिए नियोजित किया गया था को परिलब्धियां संदत करने के संदर्भ में 100% की सामान्य कटौती से अतिरिक्त 30% की और कटौती अनुज्ञात है। यद्यपि वस्त्र उद्योग की दशा में निम्नतम रोजगार की अवधि में छूट देकर 150 दिन कर दी गई है। नए रोजगार के सृजन के लिए, जूता और चमड़ा उद्योग के लिए इस छूट को विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

और, नए कर्मचारी के लिए जो प्रथम वर्ष के दौरान निम्नतम अवधि से कम के लिए नियोजित किया गया था लेकिन पश्चातवर्ती वर्ष में निम्नतर अवधि के लिए भी लगातार नियोजित रहा है, के लिए फायदा अनुज्ञात करने के द्वारा इस 30% कटौती के सुव्यवस्थीकरण का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

कृषीय वस्तु व्युत्पन्नो के व्यापार के संबंध में संव्यवहार का कर उपचार

धारा 43 का खंड (5) सैद्धान्तिक संव्यवहार को परिभाषित करता है। उक्त खंड का परंतुक तथापि, कतिपय संव्यवहारों को असैद्धान्तिक प्रकृति का होने को अनुबन्धित करता है जबकि संविदा वस्तु या रद्धी के वास्तविक प्रदान या अंतरण द्वारा से अन्यथा द्वारा निपटान किये गये हैं। उक्त परन्तुक के खंड (ड) को यह उपबंध करता है कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वस्तु व्युत्पन्नो में किया गया व्यापार, जो वस्तु संव्यवहार कर से प्रभावी है, एक असैद्धान्तिक संव्यवहार है।

वस्तु संव्यवहार कर सीटीटी को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था ताकि उस समय कृषीय आगामी व्युत्पन्नो को सीटीटी से छूट को ध्यान में रखते हुए गैर-कृषीय आगामी वस्तु व्युत्पन्नो से संबंधित संव्यवहारों को कर के दायरे में लाया जा सके। जब तक सीटीटी का संदाय नहीं किया गया है, धारा 43 की उपधारा (5) के परंतुक के खंड (ड) के लाभ कृषीय आगामी वस्तु व्युत्पन्नो और तदनुसार के व्यापार के संबंध में संव्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, इस प्रकार के संव्यवहारों को सैद्धान्तिक संव्यवहार के रूप में माना जाएगा।

कृषीय वस्तु व्युत्पन्नो के व्यापार में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, धारा 43 की उपधारा (5) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए किया गया है कि कृषीय वस्तु व्युत्पन्नो के संबंध में कोई संव्यवहार, जो सीटीटी से प्रभावी नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज या रजिस्ट्रीकृत समागम में, असैद्धान्तिक संव्यवहार के रूप में समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12]

करार या ठहराव की समाप्ति पर कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से विदेशी कंपनी की आय को छूट

धारा 10 का खंड (48क) उपबंध करता है कि किसी विदेशी कंपनी के कच्चे तेल के भारत में भंडारण से प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय और भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उससे कच्चे तेल का विक्रय छूट प्राप्त होगा यदि—

- भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए करार या ठहराव या उसके द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसरण में है; और
- राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनी और उक्त करार या ठहराव इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

इसके अतिरिक्त धारा 10 का खंड (48ख) उपबंध करता है कि कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से उद्भूत या प्रोद्भूत भारत में किसी विदेशी कंपनी को आय किसी करार या ठहराव की समाप्ति के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन पर छूट होगी।

वर्तमान में छूट का फायदा उक्त करार या ठहराव की समयपूर्व समाप्ति की दशा में कच्चे तेल के बचे हुए भंडार के विक्रय पर उपलब्ध नहीं है।

भारत को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना की रणनीतिक प्रकृति के कारण इसके रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित को बढ़ाने के लिए, धारा 10के खंड (48ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें उल्लिखित निबंधनों के अनुसार करार या ठहराव के समाप्त होने के पश्चात् भी कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक से कोई आय के संबंध में कर छूट का फायदा उपलब्ध होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

किसी अनिवासी को एनटीआरओ द्वारा रोयल्टी और एफटीएस संदाय पर कर छूट दिया जाना

धारा 195 किसी अनिवासी को संदाय या प्रत्यय के समय कर कटौती करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा करता है।

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के अत्यावश्यक कारबार को देखते हुए धारा 10 का संशोधन यह उपबंधित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है कि एनटीआरओ को भारत में या बाहर दी गई सेवाओं के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए रोयल्टी या फीस के रूप में किसी अनिवासी, कंपनी होने पर, या किसी विदेशी कंपनी को उद्भूत आय को आय-कर से छूट रहेगी।

परिणामस्वरूप, ऐसे संदायों के लिए स्रोत पर कर कटौती करने के लिए एनटीआरओ अपेक्षित नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

ड दिवाला समाधान को सुकर बनाना

न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) के दायित्व से अनुतोष

अधिनियम की धारा 115अख, कंपनी के बही लाभ पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) के उद्ग्रहण का उपबंध करता है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, अग्रणीत हानि या शेष अवक्षयण की रकम, जो भी बही खाता के अनुसार कम हो, के संदर्भ में कटौती का उपबंध करता है। परिणामस्वरूप, जहां अग्रणीत हानि या शेष अवक्षयण शून्य है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं है। यह गैर-कटौती पुनर्वास कंपनियों जो दिवाला समाधान की वांछा रखती हैं, के लिए अवरोध है।

ऊपर लिखित की दृष्टि में, धारा 115अख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध हो सके कि शेष अवक्षयण और अग्रणीत हानि (जिसके अंतर्गत शेष हानि अपवर्जित है) की संकलित रकम को बही लाभ से घटाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कंपनी का आवेदन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्वीकृत कर लिया गया है।

परिणामस्वरूप, कंपनी जिसका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है, धारा 115अख के अधीन बही लाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए कि हानि या शेष अवक्षयण शून्य है, अग्रणीत हानि (जिसमें शेष अवक्षयण अपवर्जित है) या शेष अवक्षयण को कम करने का हकदार होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 115अख में स्पष्टीकारक संशोधन भी प्रस्तावित हैं जिससे यह उपबंध किया जाए कि अधिनियम की धारा 115अख के उपबंध, निर्धारिती जो विदेशी कंपनी पर लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू हुए नहीं समझे जाएंगे, यदि इसकी कुल आय केवल धारा 44ख या धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ से है और ऐसी आय उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के लिए प्रस्थापित की जाती हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-02 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

हानि को अग्रसर करने और मुजरा के फायदे

अधिनियम की धारा 79 उपबंधित करती है कि निकट में हुए किसी कंपनी की हानि को अग्रसर और मुजरा करने को केवल जब अनुज्ञात किया जाएगा यदि वर्ष या वर्षों जिसमें हानि प्रोद्भूत हुई है, के अंतिम दिन मत शक्ति का 51 प्रतिशत से अनधिक शेयरों के लाभकारी स्वामित्व में निरंतरता है।

साधारण रूप से, किसी कंपनी द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दिवाला समाधान की वांछा रखने की दशा में धारा 79 के अधीन अनुज्ञेय सीमा से परे शेयरों के लाभकारी स्वामित्व में परिवर्तन आवश्यक रूप से अंतर्वलित हैं। यह, ऐसी कंपनियों की पुनःसंरचना और पुनर्वास के लिए एक अड़चन के रूप में कार्य करता है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए, ऐसी कंपनियों के मामले में जिनकी समाधान योजना को अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के पश्चात् दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्वीकृत कर लिया गया है, धारा 79 की बाध्यता से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 140 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान प्रक्रिया के दौरान विवरणी को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त दिवाला वृत्तिक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा तदनुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् फाइल की गई विवरणी पर लागू होगा।

[खंड 22 और 43]

च. कर प्रशासन की प्रभावकारिता में सुधार

संवीक्षा निर्धारण के लिए नई स्कीम

अधिनियम की धारा 143 निर्धारण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (3) निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि के निर्धारण और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय रकम या उसे प्रतिदाय की कोई देय रकम के संबंध में लिखित आदेश देने के लिए सशक्त करती है।

- निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए नई स्कीम विहित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती, स्रोतों के अनुकूलतम उपयोग और टीम आधारित निर्धारण के प्रवेश द्वारा उच्च पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जाए।

- इस लिए, उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (3क) अंतःस्थापित की जाने के द्वारा धारा 143 का संशोधन करना प्रस्तावित किया जाता है जिससे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार को पूर्वोक्त वर्णित नई संवीक्षा निर्धारण स्कीम जो विहित करने के लिए सामर्थ्यकारी बनाया जा सके।

- यह और कि उक्त धारा में उपधारा (3ख) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को निदेश देने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सामर्थ्यकारी बनाया जा सके, कि निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के कोई भी उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवाद, उपांतर और अनुकूलन इसमें यथाविनिर्दिष्ट सहित लागू होंगे। तथापि, 31 मार्च, 2020 के पश्चात् ऐसे निदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

- उक्त धारा में उपधारा (3ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगा।

[खंड 44]

छ. सुव्यवस्थीकरण उपाय

वस्तु संव्यवहार कर से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 116 का विद्यमान खंड (7) उपबंध करता है कि “कराधेय वस्तु संव्यवहार” परिभाषा से, वस्तुओं, कृषीय वस्तुओं का मान्यताप्राप्त संगम में व्यापार के सिवाय के संदर्भ में वस्तु व्युत्पन्न के विक्रय का संव्यवहार अभिप्रेत है।

वस्तु व्युत्पन्न में संव्यवहार के लिए अनुज्ञात लिखत के साथ “कराधेय वस्तु संव्यवहार” की परिभाषा को संशोधित करने के लिए, धारा 116 के खंड (7) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे “कराधेय वस्तु संव्यवहार” की परिभाषा में “भविष्य की वस्तु में विकल्प” को अंतर्गत लाया जाए।

वित्त अधिनियम, 2017 की विद्यमान धारा 117 उस दर का उपबंध करती है जिस पर प्रत्येक वस्तु संव्यवहार, जो वस्तु व्युत्पन्न के विक्रय के रूप में है, के संदर्भ में वस्तु संव्यवहार भारत होगा और ऐसा कर विक्रेता द्वारा संदाय किया जाएगा।

वस्तु व्युत्पन्न पर विकल्प के लिए दरें प्रस्तावित करने के लिए धारा 117 के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे दर विहित की जाए जिस पर वस्तु व्युत्पन्न पर विकल्प के विक्रय पर भारत होगा और ऐसा कर विक्रेता द्वारा संदत्त किया जाएगा।

धारा 117 के उपबंधों का और संशोधन प्रस्तावित है जिससे दर विहित की जाती है जिस पर वस्तु व्युत्पन्न पर विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है, भारत होगा और ऐसा कर क्रेता द्वारा संदत्त किया जाएगा।

वित्त अधिनियम, 2013 की विद्यमान धारा 118 उस कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य का उपबंध करती है जो वस्तु व्युत्पन्न और वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 117 के अधीन भारत के रूप में है।

धारा 118 के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य, जो उक्त धारा में वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 117 के अधीन भारत वस्तुओं के रूप में हैं, को अंतर्गत लाया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 215]

विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए अभियोजन से संबंधित धारा 276गग का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 276गग उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर शोध्य समय में आय की विवरणी, जो उसके द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित थी, को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वह यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय होगा।

धारा 276गग के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख), यह उपबंध करते हैं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् प्रारंभ हुए किसी निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए उक्त धारा के अधीन कार्यवाही नहीं होगी, यदि उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर द्वारा घटाने पर नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर संदेय कर और स्रोत पर कोई कर कटौती, जो तीन हजार से अधिक नहीं होती है।

शैल कंपनियां या कंपनियां जो बेनामी संपत्तियां धारित किए हुए हैं, द्वारा उक्त परंतुक के दुरुपयोग से निवारण करने के लिए, उक्त उपखंड के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपखंड कंपनी के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगा।

[खंड 52]

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का सुव्यवस्थीकरण

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 46, शास्ति अधिरोपण की प्रक्रिया का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि शास्ति अधिरोपण का कोई आदेश उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से बनाया जाएगा।

सहायक निदेशक या उपनिदेशक, जो अप्रकटित विदेशी आय या आस्ति के किसी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं, को निर्धारण अधिकारी की समवर्ती अधिकारिता भी सौंपी जा सकती है और इस प्रकार वह शास्ति भी आरंभ कर सकते हैं। यद्यपि, उक्त प्राधिकारियों को शास्ति के अधिरोपण के लिए संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

तदनुसार, उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जाता है कि संयुक्त निदेशक को शास्ति अधिरोपण के आदेश के अनुमोदन की शक्ति भी निहित होगी। यह उक्त उपधारा के खंड (ख) का संशोधन प्रस्तावित करता है जिससे उसमें सहायक निदेशक और उपनिदेशक को दिए गए निर्देश को अंतर्गत लाया जाए।

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 55 उस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) की अनुशास्ति के सिवाय धारा 49 से धारा 53 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, जैसा सही समझे, कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट के अनुसार ऐसे अनुदेश या निदेश, कर प्राधिकारियों को जारी कर सकेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित है जिससे उक्त उपधारा के अधीन प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक भी कर प्राधिकारियों को अनुदेश या निदेश जारी करने में सशक्त किया जाए।

तदनुसार उक्त उपधारा के पार्श्व शीर्ष का संशोधन भी प्रस्तावित है जिससे प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक के निर्देश इसके अंतर्गत आ जाएं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

[खंड 216]

आय की विवरणी को प्रक्रियागत करने के दौरान प्रथमदृष्ट्या समायोजन का सुव्यवस्थीकरण

धारा 143 की उपधारा (1) धारा 139 के अधीन की गई आय की विवरणी को प्रक्रियागत करने या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस के उत्तर के लिए उपबंध करती है।

उक्त उपधारा का खंड (क) उपबंध करता है कि विवरणी को प्रक्रियागत करने के समय उसके उपखंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट "प्रथमदृष्ट्या समायोजन" समायोजन करने के पश्चात् कुल आय या हानि की संगणना की जाएगी।

उक्त खंड का उपखंड (vi) प्ररूप 26कघ या प्ररूप 16क या प्ररूप 16 में प्रकट होने वाली आय को जोड़ने के संबंध में समायोजन का उपबंध करता है जो विवरणी में कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया गया है।

समायोजनों के दायरे को निर्बन्धित करने की दृष्टि से, उक्त खंड में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष को या उसके पश्चात् प्रस्तुत की गई किसी विवरणी के संबंध में उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 44]

कंटी-बाई-कंटी रिपोर्ट से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 286 में किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में कंटी-बाई-कंटी (सीबीसीआर) रिपोर्ट के रूप में विशिष्ट रिपोर्टिंग रिजिम के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट हैं। आर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओईसीडी) और अन्य के आधार क्षरण और लाभ अंतरण (बीईपीएस) के एक्शन प्लान 13 के मॉडल विधान के आधार पर प्रभावशीलता में सुधार के लिए तथा ऐसी रिपोर्टिंग के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव है:—

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप मूल संस्था या वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्था (एआरई) जो भारत में निवासी है के मामले में कंटी बाई कंटी रिपोर्ट सीबीसीआर प्रस्तुत करने का समय रिपोर्टिंग अकाउंटिंग वर्ष के अंत से बारह मास तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
- भारत में निवासी संस्थापक संस्था जिसकी मूल संस्था भारत में निवासी नहीं है, भी सीबीसीआर प्रस्तुत करेगी, चाहे भारत से बाहर इसकी मूल संस्था अपने देश या क्षेत्र में उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।
- भारत में निवासी संस्थापक संस्था जिसकी मूल संस्था भारत में निवासी नहीं है, को सीबीसीआर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय रिपोर्टिंग अकाउंटिंग वर्ष की समाप्ति से बाहर मास होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय समूह के एआरई द्वारा सीबीसीआर प्रस्तुत करने, जिसकी मूल संस्था भारत से बाहर है, की उस देश या क्षेत्र के कर प्राधिकारी, जिसकी वह निवासी है, की शोध तारीख वह होगी जो उस देश या क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- करार से आशय धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार या उपधारा (2) में और उपधारा (4) में निर्दिष्ट विनिमय के लिए करार भी है, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
- "रिपोर्टिंग अकाउंटिंग वर्ष" से आशय उस अकाउंटिंग वर्ष से है जिसके संबंध में वित्तीय और प्रचालन परिणाम उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में दर्शित करना अपेक्षित है।

ये संशोधन स्पष्टकारी प्रकृति के हैं।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 को प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 53]

घरेलू कंपनियों से संबंधित धारा 115खक के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 115खक उपबंध करती है कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में और उसके अनुसंधान या उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के वितरण में लगी हुई नई स्थापित घरेलू कंपनी की कुल आय अपने विकल्प पर 25 प्रतिशत की दर से कराधेय होगी। यह फायदा निर्धारण वर्ष 2017-18 से उपलब्ध होगा।

तथापि, ऐसी कतिपय आय है जो 25 प्रतिशत से निम्नतर या उच्चतर दर पर अनुसूची कर के अधीन है। परिणामस्वरूप करदाता अनाशयित कठिनाई या अवांछित अनुतोष के अधीन हो गए हैं। तदनुसार, धारा 115खक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 115खक के उपबंध, उसमें निर्दिष्ट विनिर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण के कारबार से आय तक निर्बन्धित हैं; और आय जो वर्तमान में अनुसूचित दर पर करारोपित की जाती है, आगे भी इसी प्रकार करारोपित होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 33]

एनपीएस से करमुक्त धन निकासी के फायदे को गैर कर्मचारी सदस्यों तक विस्तारित करना

अधिनियम की धारा 10 के खंड (12क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन एनपीएस में योगदान करने वाले किसी कर्मचारी को खाता बंद करने पर संदाय या उसके द्वारा पेंशन स्कीम से बाहर होने के विकल्प चुनने पर, उसको संदत्र कुल रकम के 40 प्रतिशत रकम के संबंध में की छूट दी जाएगी। यह छूट गैर-कर्मचारी अभिदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुकूल वातावरण का उपबंध करने के लिए सभी अभिदाताओं को उक्त फायदा विस्तारित करने हेतु अधिनियम की धारा 10 के खंड (12क) का संशोधन प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

कतिपय आय के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि देय तारीख के भीतर विवरणी फाइल न की हो

अधिनियम की धारा 80कग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80झड के अधीन कोई ऐसी कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक कि निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख पर या पहले प्रस्तुत नहीं की जाती है। यह भार अन्य सभी समान उपबंधों के अधीन कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती पर नहीं डाला जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 80कग के दायरे का विस्तार करना प्रस्तावित है जिससे उपबंध किया जा सके कि अध्याय 6क में शीर्ष “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” के अधीन कटौतियों की पूर्ण श्रेणी के अधीन कटौती के फायदे अनुज्ञात नहीं होंगे, जब तक कि आय की विवरणी देय तारीख तक फाइल न की हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 23]

धारा 43गक, धारा 50ग और धारा 56 का सुव्यवस्थीकरण

वर्तमान में, स्थावर संपत्ति, विक्रय प्रतिफल या स्टॉप ड्यूटी मूल्य में संव्यवहार से प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ (धारा 50ग), कारबार लाभ (धारा 43गक) और अन्य स्रोत (धारा 56) से आय करारोपण के दौरान, जो भी उच्चतर हो अंगीकृत होता है। विक्रेता और क्रेता दोनों के हाथों में अंतर पर आय के रूप में कर लगा है।

यह इंगित किया गया है कि समान क्षेत्र में समान संपत्ति विभिन्न घटक जिसके अंतर्गत प्लॉट का आकार या स्थिति है के संदर्भ में हो सकता है। भू-संपदा सेक्टर में उचित संव्यवहार की दशा में कठिनाई को कम करने के लिए, यह उपबंध स्टॉप ड्यूटी मूल्य और विक्रय प्रतिफल के बीच रूपांतरण विक्रय प्रतिफल के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 14, 19 और 21]

पूंजी आस्ति में व्यापार स्टाक के संपरिवर्तन से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 45 अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि व्यापार स्टाक में पूंजी आस्ति के संपरिवर्तन से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ कर के लिए प्रभाय्य होगा। तथापि ऐसे मामले जहां कारबार में संपरिवर्तित किया जाता है या स्टाक पूंजी आस्ति के रूप में समझा जाता है, विद्यमान विधि इसकी कराधेयता के लिए उपबंध नहीं करती है।

पूंजी आस्ति में निक्षेपकर्ता के संपरिवर्तन द्वारा संदेय कर में देशी करने के व्यवहार्य का सम्मितीय समान व्यवहार करने का उपबंध करने के क्रम में, निम्न उपबंध का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

(i) धारा 28 जो उपबंध करने के लिए है कि पूंजी आस्ति के रूप में इसके व्यवहार या पूंजी आस्ति में निक्षेपकर्ता के संपरिवर्तन से उत्पन्न किसी लाभ या अभिलाभ पर कारबार आय के रूप में कर प्रभाय्य होगा। यह, उपबंध करने का भी प्रस्ताव करती है कि विहित रीति में संपरिवर्तन का तारीख या सुनिश्चित किए गए व्यवहार पर व्यापार स्टाक की रिजु बाजार मूल्य ऐसे संपरिवर्तन या व्यवहार परिणाम के रूप में प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के कुल मूल के रूप में समझा जाएगा;

(ii) धारा 2 का खंड (24) जिसमें आय की परिभाषा में रिजु बाजार मूल्य सम्मिलित है;

(iii) धारा 49 उपबंध करती है कि ऐसी पूंजी आस्तियों के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की गणना के उद्देश्य के लिए संपरिवर्तन की तारीख से रिजु बाजार मूल्य, अर्जन की लागत होगी;

(iv) धारा 2 का खंड (42क) उपबंध करता है कि ऐसे पूंजी आस्ति के धारणा की अवधि संपरिवर्तन या व्यवहार की तारीख से गिना जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3, 9 और खंड 18]

कर उदासीन अंतरण

धारा 47 कतिपय कर उदासीन अंतरणों का उपबंध करती है। धारा 56 भी अपने दायरे से कतिपय कर उदासीन अंतरणों से होने वाली आय को परिवर्जित करती है। तथापि, धारा 47 के खंड (iv) तथा (v) में निर्दिष्ट अंतरणों को धारा 56 के दायरे से अपवर्जित नहीं किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय समनुषंगी कंपनी और इसकी धृति कंपनी के बीच धन या संपत्ति के संव्यवहार को और सुकर बनाने के लिए, धारा 56 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे अंतरण को इसके दायरे से अपवर्जित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् किए गए संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 21]

धारा 54डग के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 54डक उपबंध करती है कि ऐसे अंतरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में निवेशित दीर्घ कालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ पर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर के लिए प्रभाय नहीं होगा।

यह धारा यह भी उपबंध करती है कि 1 अप्रैल 2007 को या उसके पश्चात धारा के अधीन किसी निक्षेप को बनाने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" जिसका अर्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कोआपरेशन लिमिटेड द्वारा, अथवा इस आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बांड द्वारा तीन वर्ष पश्चात पुनः प्राप्ति किसी बांड और 1 अप्रैल 2007 को जारी या उसके पश्चात कोई बांड है।

अधिनियम की धारा 54डग के उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के क्रम में तीन वर्ष से अधिक के लिए कंपनी को जारी किया गया पात्र बांड के निपटान पर उपलब्ध निधियों को बनाने के लिए और भूमि या भवन दोनों के होने पर दीर्घ कालिक पूंजी आस्ति से उत्पन्न होने वाले पूंजी अभिलाभों के लिए धारा के दायरे प्रतिबंधित करने के लिए, धारा 54डग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात छह मास की अवधि के भीतर किसी समय दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में निवेशित भूमि या भवन दोनों के होने पर दीर्घ कालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ, इस धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर के लिए प्रभाय नहीं होगा।

यह भी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है कि 1 अप्रैल 2018 को या उसके पश्चात धारा के अधीन किसी निवेश को करने हेतु दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कोआपरेशन लिमिटेड अथवा इस आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात जारी और पांच वर्षों के पश्चात् पुनः प्राप्त कोई बांड होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 20]

धारा 115खखड के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115खखड साठ प्रतिशत की उच्चतर दर पर धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क अथवा धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या भत्ते या हानि का मुजरा करने के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

धारा 115खखड के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए, उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को भी सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 34]

अधिसूचित आय की संगणना और प्रकटन मानकों के संबंध में संशोधन

वर्तमान में, अधिनियम की धारा 145 केंद्रीय सरकार को आय संगणना और प्रकटन मानक आईसीडीएस को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अनुसरण में केंद्रीय सरकार ने निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी दस ऐसे मानकों को अधिसूचित किया है। जो "कारबार या वृत्तिक के लाभ और फायदे" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अधीन आयकर से प्रभाय आय की संगणना के उद्देश्य के लिए, उन सभी निर्धारितियों पर (किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुम्ब से अन्य जो उक्त अधिनियम की धारा 44कख के उपबंधों के अधीन कर संपरीक्षा के अधीन नहीं है), पर लागू होती है।

आईसीडीएस के लागू होने के मुद्दे पर हाल की न्यायिक उदघोषणा को ध्यान में रखते हुए निश्चितता लाने के क्रम में निम्न प्रस्ताव किया जाता है—

(i) अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंधित करने के लिए किया गया है कि धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना में उपबंधित रीति में संगणना के रूप में बाजारी हानि या अन्य आशयित हानि तथा प्रकटन मानक को चिन्हित करने के लिए, कटौती को अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने का प्रस्ताव, यह उपबंधित करने के लिए किया गया है कि बाजारी हानि या अन्य आशयित हानि को चिन्हित करने के संबंध में किसी कटौती या भत्तों को धारा 36 की उप-धारा (1) के नए अंतःस्थापित खंड (xviii) के अधीन अनुज्ञात के सिवाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(iii) धारा 43क के उपबंधों के अधीन, अधिनियम में नई धारा 43कक को अन्तःस्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण उद्भूत

किसी फायदे या हानि को यथास्थिति आय या हानि के रूप में माना जाएगा, जो धारा 145 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानक में उपबंधित रीति में संगणित किया जाएगा।

(iv) अधिनियम में एक नई धारा 43गख के अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव यह उपबंधित करने के लिए किया गया है कि किसी सन्निर्माण संविदा या किसी सेवा प्रदान करने के लिए संविदा के लाभ और फायदे को कतिपय सेवा संविदाओं के सिवाय पूर्ण की प्रतिशतता रीति से अवधारित किया जाएगा, और संविदा राजस्व में धारित घन सम्मिलित होगा तथा संविदा लागत समनुषंगी ब्याज, लाभांश और पूंजी अभिलाभ द्वारा कम नहीं होगी।

(v) अधिनियम की धारा 145 का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंधित करने के लिए किया गया है कि “कारबार या वृत्तिक के लाभ और फायदे” शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय का अवधारण करने के निम्नलिखित प्रयोजन के लिए है,—

(क) माल सूची का मूल्यांकन धारा 145 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानक में उपबंधित रीति में संगणित वास्तविक लागत के निम्न या सकल वसूल योग्य पर किया जाएगा।

(ख) माल के क्रय और विक्रय या सेवाओं और माल सूची के मूल्यांकन को निर्धारिती द्वारा मूल्यांकन की तारीख को माल और सेवाओं को अपने अवस्थान और दशा पर लाने के लिए वास्तविक संदत्त या प्रोदभूत किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस को शामिल करने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा।

(ग) माल सूची का सूचीबद्ध प्रतिभूति नहीं होने या सूचीबद्ध होने पर लेकिन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सेचेंज पर कथन नहीं किये जाने के कारण माल सूची के मूल्यांकन को धारा 145 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानक में उपबंधित रीति में आरम्भिक रूप से मान्यता प्राप्त वास्तविक लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(घ) प्रतिभूति होने पर माल सूची को धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानक में उपबंधित रीति में वास्तविक लागत के निम्नतर पर या सकल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए वास्तविक लागत और सकल वसूली योग्य मूल्य की तुलना प्रवर्गानुसार की जाएगी।

(vi) अधिनियम में नई धारा 145ख का अन्तः स्थापन यह उपबंधित करता है कि—

क निर्धारिती द्वारा किसी क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति यथास्थिति द्वारा प्राप्त ब्याज को उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त हुआ है, की आय मानी जाएगी।

ख किसी संविदा या निर्यात प्रोत्साहन में कीमत की वृद्धि के लिए दावे को पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें इसकी वसूलीकरण के लिए उचित निश्चितता प्राप्त की गई है, की आय माना जाएगा।

ग धारा (2) के खंड (24) के उप-खंड (xviii) में निर्दिष्ट आय को पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें इसे प्राप्त किया गया है, की आय माना जाएगा, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर से प्रभार्य नहीं किया गया है।

हाल ही में न्यायिक उद्घोषणा ने इस लक्ष्य को ध्यान में न रखते हुए अधिसूचित आईसीडीएस की वैद्यता पर प्रश्न किया है कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संगणना के लिए आय के लिए आईसीडीएस के उपबंधों का अनुपालन पहले से ही कर दाताओं की अधिक संख्या द्वारा किया जा चुका है। कर दाताओं द्वारा अधिसूचित आईसीडीएस के अनुपालन को नियमित करने के लिए, उन्हें और असुविधा से बचाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधन 1 अप्रैल, 2017, तारीख जिसको आईसीडीएस प्रभावी किया गया था। तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10, 11, 13, 15 और 45]

7.75% जीओआई बचत (कराधेय) बंधपत्र 2018, पर स्रोत पर कर कटौती

भारत सरकार ने 2003 में, 8% बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 को पुरःस्थापित किया था। विद्यमान विधि के अधीन, निवेशक द्वारा प्राप्त ब्याज कराधेय है। और दाता, किसी निवासी को दस हजार से अधिक ऐसे ब्याज के संदाय और प्रत्यय के समय आय कर अधिनियम की धारा 193 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए दायी है।

सरकार ने अब एक नये 7.75% जीओआई बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2018 के साथ विद्यमान 8% बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 को जारी न रखने का विनिश्चय किया है। नये बंधपत्रों के अधीन प्राप्त ब्याज कराधेय होना जारी रहेगा, जैसे कि इससे पूर्व के मामले में होता था। निवासियों को ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज का संदाय करते समय स्रोत पर कर कटौती के लिए अनुज्ञात करने के लिए संशोधन हेतु धारा 193 के उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है। तथापि वित्तीय वर्ष के दौरान यदि ब्याज की रकम दस हजार रुपये से कम है या बराबर है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

[खंड 46]

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

ज प्रकीर्ण

उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, आय-कर अधिनियम में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। ये संशोधन निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किए गए हैं।

कतिपय मामलों में निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड न्यास या आयोग की विनिर्दिष्ट आय को छूट

अधिनियम की धारा 10 का खंड 46 केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास सरकार को या आयोग को विनिर्दिष्ट आय से छूट प्रदान करता है, यदि—

(क) वे किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं;

(ख) वे केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किये गये हैं या केंद्रीय अथवा जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप को विनियमित करने या प्रशासित करने के उद्देश्य से गठित किए गए हैं।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार को प्रत्येक मामले को पृथक् रूप से अधिसूचित करना अपेक्षित होता है, चाहे वे मामलों के समान वर्ग से हों। परिणामस्वरूप, अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया में सम्यक रूप से विलंब किया गया है तदनुसार उक्त खंड 46 को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसे निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के ऐसे वर्ग को, अधिसूचना द्वारा छूट देने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 5]

वित्तीय संव्यवहारों या रिपोर्टित खाते के कथन को प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति

अधिनियम की धारा 271 च क उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्टित खाते के कथन को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, विहित समय के भीतर ऐसा कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिन के लिए सौ रूपए शास्ति के रूप में संदेय करने का दायी होगा।

उक्त धारा का परंतुक और उपबंधित करता है कि धारा 285 खक की उपधारा (5) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्टित खाते के कथन प्रस्तुत करने में ऐसे व्यक्ति के असफल रहने की दशा में, वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपए शास्ति के रूप में संदेय करने का दायी होगा।

धारा 285खक के अधीन रिपोर्टिंग बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 271चक का संशोधन करना प्रस्तावित किया जाता है जिससे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिन के लिए उद्ग्रहणीय शास्ति सौ रूपए से बढ़ाकर पांच सौ रूपए और पांच सौ रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 51]

अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण की अवसंरचना का संशोधन

धारा 245ण, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19ख या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय 5 के अधीन या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन और बैंच के गठन के लिए उपबंध करता है।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28डक के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्रस्तावित सीमाशुल्क प्राधिकरण के गठन की दृष्टि से, धारा 245ण के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिससे कि यह प्राधिकरण अग्रिम विनिर्णय के प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28डक के अधीन अग्रिम अधिनियम, 1962 के अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

यह और प्रस्तावित किया जाता है कि ऐसा प्राधिकरण ऐसे किसी विनिर्णय या आदेश के विरोध में कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28डक के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण की नियुक्ति की तारीख के पश्चात उसके द्वारा अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में पूर्व में पारित किए गए हैं।

अतिव्यापी से बचने के लिए, यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां प्राधिकरण आयकर अधिनियम के मामलों में अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आए आवेदन का निपटारा कर रहा है, राजस्व सदस्य उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सदस्य होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 48 और 49]

धारा 271ज के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अपील

अधिनियम की धारा 253, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि धारा की उपधारा (1) में वर्णित आदेशों में से किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील कर पाए।

उक्त उपधारा के खंड (क) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे धारा 271ज के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश को भी अपील अधिकरण के समक्ष अपील योग्य बनाया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

[खंड 50]

सीमा शुल्क

टिप्पण: (क) "आधारित सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा शुल्क अभिप्रेत है।
(ख) "निर्यात शुल्क" से सीमा शुल्क शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) वर्ग कोष्ठकों [] में खंड सं. वित्त विधेयक, 2018 के सुसंगत खंड को दर्शित करता है।

वित्त विधेयक, 2018 के माध्यम से किए जाने वाले संशोधन, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो अपने प्रवर्तन की तारीख से प्रवृत्त होते हैं।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन:

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2018 के खंड
1.	आयात सूची और निर्यात सूची के प्रति निर्देश जहां वे क्रमशः आगम सूची और निर्गम सूची में सम्मिलित करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में आते हैं।	[54]
2.	धारा 1 का संशोधन किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए उसके अधीन किसी-अपराध या उल्लंघन के लिए सीमाशुल्क के दायरे का विस्तार किया जा सके।	[55]
3.	धारा 2 का संशोधन किया जा रहा है जिससे — (क) उपधारा (2) में निर्धारण की परिभाषा का प्रतिस्थापन; (ख) उपधारा (28) में, भारत में 'अनन्य आर्थिक जोन' के लिए विद्यमान भारत के स्पर्शी क्षेत्र से समुद्र में "भारतीय सीमा शुल्क जोन" की सीमा का विस्तार करना; (ग) परन्तु यह कि अधिसूचना का अर्थ "राजपत्र" में प्रकाशित अधिसूचना होगी और तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।	[56]
4.	धारा 11 का संशोधन किया जा रहा है - (क) जिससे उपधारा (3) को अंतःस्थापित करने का उपबंध करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या जारी किसी आदेश या अधिसूचना में उपबंधित किसी माल या माल के वर्ग के आयात या निर्यात या उसकी निकासी से संबंधित कोई प्रतिषेध या निर्बंधन या बाध्यता उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल तभी निष्पादित होगा, यदि ऐसा प्रतिषेध या निर्बंधन या बाध्यता सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अधिसूचित किया जा सकता है। यह परिवर्तन अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा।	[57]
5.	धारा 17 का संशोधन किया जा रहा है जिससे - (क) उपधारा (3) में पारिणामिक परिवर्तनों के साथ उप धारा (2) के संशोधन द्वारा धारा 46 या धारा 50 के अधीन की गई सभी प्रविष्टियों के लिए स्वतः निर्धारण से आगे सत्यापन के दायरे का विस्तार करने; (ख) समुचित चयन मानदंड के माध्यम से प्रविष्टि का स्वतः निर्धारण बिल या जहाजरानी बिल के चयन कि आधार पर जोखिम मूल्यांकन के लिए विधिक आधार का उपबंध करने के लिए नई धारा (2क) को अंतःस्थापित करने; (ग) उपधारा (5) से अधिनियम के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण और शुल्क से छूट रियायतों की बाबत के विशिष्ट निर्देश का लोप करने के द्वारा पुनःनिर्धारण के दायरे का विस्तार करने; (घ) संपरीक्षा के लिए नए समर्पित अध्याय की दृष्टि में उपधारा (6) का लोप करने के लिए है।	[58]
6.	धारा 18 का संशोधन किया जा रहा है जिससे - (क) उपधारा (1) के संशोधन के द्वारा शुल्क के अनंतिम निर्धारण के अधीन निर्यात परेषण को कवर करने ; (ख) अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने और अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समुचित अधिकारी के लिए, यदि अपेक्षित हो, दस्तावेज और जानकारी सौंपने के लिए आयातक और निर्यात के लिए समय सीमा का उपबंध करने हेतु विनियम को जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए नई उपधारा (1क) को अंतःस्थापित करने; (ग) भूतलक्षी प्रभाव से धारा 28कक के निर्देश के साथ धारा 28कख (जो विद्यमान नहीं है) के निर्देश को प्रतिस्थापित करने के लिए है;	[59]
7.	नई धारा 25 को अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे कतिपय शर्तों के अधीन उस पर उद्गृहणीय सीमाशुल्क के संपूर्ण या किसी भाग के संदाय से आगे के प्रसंस्करण या विनिर्माण [माल का जावक प्रसंस्करण]; मरम्मत के लिए निर्यात के पश्चात् पुनः आयात करने वाले माल से छूट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए है।	[60]

8. नई धारा 25ख को अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे कतिपय शर्तों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संपूर्ण या किसी भाग के संदाय से आगे के प्रसंस्करण या विनिर्माण [माल का जावक प्रसंस्करण]; मरम्मत के लिए निर्यात के पश्चात् पुनः आयात करने वाले माल से छूट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए है। [61]
9. नई धारा 28का संशोधन किया जा रहा है, जिससे;
- (क) मांग पत्र जारी किए जाने से पूर्व, दुरभिसंधि, जानबूझकर किया गया मिथ्या कथन, छिपाने आदि के आरोप को नहीं सम्मिलित किए जाने के मामले में सूचना पूर्व परामर्श का उपबंध करने के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में एक परंतुक को अंतःस्थापित करने;
- (ख) विद्यमान समयावधि के भीतर, जैसा विहित किया जाए ऐसी रीति में तथा उस परिस्थिति में अनुपूरक कारण बताओ नोटिस को जारी करने का उपबंध करने के लिए नई धारा (7क) का अंतःस्थापित करने के लिए है। [61]
- (ग) विद्यमान उपधारा (9) का संशोधन किया जा रहा है जिससे -
- क दुरभिसंधि जानबूझकर किया गया मिथ्या कथन, छिपाने का आरोप लगाए जाने पर मांग पत्र को के न्यायनिर्णय के लिए छह मास और एक वर्ष की समय सीमा परिभाषित करने का उपबंध किया जा सके। इस समयावधि का क्रमशः छह मास और एक वर्ष की आगे की ओर अवधि के लिए याय निर्णयाक प्राधिकारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तार किया जाएगा ।
- ख यह भी उपबंध करने के लिए है कि यदि मांग पत्र विस्तार की गई अवधि के भीतर न्यायनिर्णय नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा जैसे यदि कोई मांग नहीं जारी की गई थी।
- (घ) छह मास या एक वर्ष की समय सीमा का शेष निलंबन किया जाएगा जिसके कारण कतिपय आधारों का उपबंध करने के लिए (नई उपधारा (9क) को अंतःस्थापित करने के लिए है और समुचित उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की अवधारणा न करने के कारण के लिए कारणों को संबद्ध व्यक्ति को सूचित करेगा और ऐसे मामलों में उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय सूचना की तारीख से परन्तु उस तारीख से जब ऐसे कारण जो बाहर करने से रोका जा सके लागू नहीं होगी।
- (ङ) नई उपधारा (10क) को अंतःस्थापित करने के लिए है जो उपबंध करती है कि जहां प्रतिदाय के लिए कोई आदेश अपील में उपांतरित किया जाता है और प्रतिदाय की रकम इस प्रकार अवधरित की जाती है प्रतिदाय की गई रकम से कम होती है, इस प्रकार प्रतिदाय की गई आधिक्य रकम, सरकार को देयराशि के रूप में वसूली की तारीख तक प्रतिदाय की तारीख से उस पर लागू दर ब्याज के साथ वसूली की जाएगी ।
- (च) सुरक्षा उपाय का उपबंध करने के लिए नई उपधारा (10ख) का अंतःस्थापित करने के लिए है जिसके द्वारा उपधारा (4) के अधीन जारी मांग पत्र किसी कार्यवाही में वहनीय नहीं धारित की जाती है जिसके अंतर्गत उस कारण के लिए अपील का कोई स्तर सम्मिलित है कि दुरभिसंधि, जानबूझकर किया गया मिथ्या कथन आदि के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित नहीं किया गया है जिसे मांग पत्र जारी किया गया है उक्त सूचना को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।
- (छ) एक स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करना कि अनुनद्रग्रहण, असंदाय कम उद्ग्रहण या कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना 14 मई, 2015 के पश्चात् किन्तु उस तारीख से पूर्व जिसको वित्त विधेयक 2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, जारी की गई है, वहां वे धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होते रहेंगे जैसे व उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है ठीक पूर्व विद्यमान थे।
10. धारा 28 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे,—
- (क) "क्रियाकलाप" को परिभाषित करने वाले खंड (क) का लोप किया जाए, जैसे कि अब यह सुसंगत नहीं है;
- (ख) अग्रिम विनिर्णय की विद्यमान परिभाषा को प्रतिस्थापित करना जिससे शुल्क की अधारणा के लिए विषयों को कवर किया जाए;
- (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" की परिभाषा को जोड़ा जाना; [62]
- (घ) "आवेदक" की परिभाषा को इसे व्यापक आधार देने के क्रम में प्रतिस्थापित करना;
- (ङ) धारा 28 ड क में निर्देश अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी के रूप में 'प्राधिकारी' की परिभाषा;
- (च) खंड(च) और (छ) में "प्राधिकारी" के स्थान पर "अपीलीय प्राधिकारी" को प्रतिस्थापित करना।
11. "सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय" से संबंधित नई धारा 28 ड क को अंतःस्थापित किया जा रहा है जो अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिए बोर्ड हेतु उपबंध करती है। बोर्ड द्वारा ऐसी नियुक्ति करने तक विद्यमान प्राधिकारी अग्रिम विनिर्णय की घोषणा को जारी रखेगी। [63]
12. धारा 28च का संशोधन किया जा रहा है जिससे "अपीलीय प्राधिकारी" शब्दों के साथ "प्राधिकारी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए और उपबंध किया जाता है कि सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की नियुक्ति पर तत्कालीन प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन और कार्यवाहियां सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय को अंतर्स्तिकी गई मानी जाएगी। [64]

13. धारा 28 ज का संशोधन किया जा रहा है जिससे, -
- (क) उसमें अन्तर्विष्ट "शुल्क" के अतिरिक्त "कर" शब्द को सम्मिलित करके उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन किया जाए;
- (ख) अधिसूचित किसी अन्य मामले को करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए उपधारा 2 में खंड (च) को अंतःस्थापित करने के लिए है जिस पर अग्रिम विनिर्णय की आवेदन द्वारा मांग की जा सके; [65]
- (ग) उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का उपबंध करती है कि कोई आवेदक सम्यक रूप से प्राधिकृत रूप से व्यक्ति जो भारत का निवासी है द्वारा अभ्यावेदन कर सकता है;
- (घ) एक स्पष्टीकारक कथन को जोड़ने के लिए कि निवासी की परिभाषा वही होगी जैसी आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 42 में उपबंध की गई है।
14. छह मास से तीन मास जिसके भीतर प्राधिकारी इसके अग्रिम विनिर्णय की घोषणा की जाएगी, की अवधि को करने के लिए धारा 28 झ की उपधारा (6) का संशोधन किया जा रहा है। [66]
15. धारा 28ट का संशोधन किया जा रहा है, जिससे-
- (क) उपधारा (1) में 'ऐसी अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्' पद का लोप किया जाए;
- (ख) धारा 28 में विनिर्दिष्ट क्रमशः दो वर्षों और पांच वर्षों की अवधि के समय से ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से आरंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा के कथन की धारा 28 की उपधारा (7) के लिए तत्स्थानी उपबंध को जोड़ा जा सके। [67]
16. नई धारा ट क [अग्रिम विनिर्णय के संबंध में अपीलीय उपबंधों के संबंध में] का संशोधन किया जा रहा है जिससे-
- (क) आयकर अधिनियम की धारा 245 ग के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकारी के लिए सीमाशुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या विनिर्णय के विरुद्ध किसी आवेदक द्वारा अथवा अधिसूचना द्वारा बोर्ड के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपील के लिए उपबंध करने के लिए है; [68]
- (ख) धारा 28 ठ और 28 ज अपील की कार्यवाहियों आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, का उपबंध करने के लिए है;
- (ग) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा द्वारा अंतःस्थापित परिवर्तन केवल तब प्रवृत्त होगा जब अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी धारा 28डक के अधीन नियुक्त किया जाता है।
17. धारा 28 ठ का संशोधन किया जा रहा है जिससे "प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी" शब्दों के साथ "प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके। [69]
18. धारा 28 ड का संशोधन किया जा रहा है जिससे, -
- (क) यह उपबंध करने के लिए है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विहित किए गए के अनुसार होगी;
- (ख) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपीलीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के व्यवहार के बाहर उत्पन्न सभी मामलों में अपनी स्वयं की कार्यवाहियों को विनियमित करने की शक्ति होगी। [70]
19. धारा 30 का संशोधन किया जा रहा है जिससे, -
- (क) माल सूची में उपबंध की गई जानकारी के भाग के रूप में आयातित माल के अतिरिक्त निर्यात माल को जोड़ने के लिए है। [71]
- (ख) विनियमों के माध्यम से मालसूची के परिदान की रीति को विहित करने के उपबंध के लिए है।
20. धारा 141 का संशोधन किया जा रहा है जिससे;
- (क) माल सूची में दी गई सूचना के भाग के रूप में निर्यातित मालों के अतिरिक्त आयातित मालों को सम्मिलित करने; [72]
- (ख) माल सूची को देरी से फाइल करने के लिए शास्ति उपबंध करने।
- (ग) विनियमों के माध्यम से मालसूची के परिदान की रीति विहित करने के लिए उपबंध करने के लिए है।
21. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, यथा विहित अन्य तरीकों से माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 45 का संशोधन किया जा रहा है। [73]
22. धारा 46 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है:-
- (क) सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रति निर्देश और प्रवेश बिल प्रस्तुत करने की रीति को अंतःस्थापित करने के लिए उपधारा (1) का संशोधन।
- (ख) सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रति निर्देश अंतःस्थापित करने के लिए उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन; [74]
और

- (ग) उपधारा (3) के पहले परंतुक में "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन से अनधिक से पूर्व किसी भी समय" प्रवेश बिल के पूर्व प्रस्तुतिकरण के लिए समय सीमा को स्पष्ट करना;
- (घ) उपधारा (4) में उस प्रभाव के लिए आवश्यक अंतःस्थापन करके, बीजक के अतिरिक्त यथाविहित ऐसे अन्य दस्तावेजों का उपबंध;
- (ङ) नई उपधारा (4क) का अंतःस्थापन जिससे इस धारा के अधीन आयातक द्वारा की गई घोषणाओं की परिशुद्धता प्रामाणिकता, वैधता के अनुपालन के लिए उपबंध करना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिबंधों या निर्बंधनों का अनुपालन।
23. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 47 का संशोधन किया जा रहा है। [75]
24. निम्नलिखित के लिए धारा 50 का संशोधन किया जा रहा है:
- (क) सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रति निर्देश अंतःस्थापित करने के लिए उपधारा (1) का संशोधन और जहाजरानी बिल या निर्यात बिल को प्रस्तुत करने की रीति; [76]
- (ख) सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के प्रति निर्देश अंतःस्थापित करने के लिए उपधारा (1) के परंतुक का अंतःस्थापन; और
- (ग) नई धारा (2क) का अंतःस्थापन जिससे इस धारा के अधीन निर्यातक द्वारा की गई घोषणाओं की परिशुद्धता, प्रामाणिकता वैधता के अनुपालन के लिए उपबंध करना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिबंधों या निर्बंधनों का अनुपालन।
25. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 51 का संशोधन किया जा रहा है। [77]
26. धारा 51क में शासी उपबंध के साथ इलैक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से संदायो पर अध्याय 7क का अंतःस्थापन जिससे अग्रिम निक्षेप के लिए उपबंध किया जा सके जो इलैक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से शुल्क, कर, फीस, ब्याज और शास्ति के संदाय को समर्थ बनाएगा। [78]
27. ट्रांसशिपमेन्ट बिल प्रस्तुत करने तथा ट्रांसशिपमेन्ट की घोषणा को प्रस्तुत करने की रीति का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए धारा 54 का संशोधन किया जा रहा है। [79]
28. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 60 का संशोधन किया जा रहा है। [80]
29. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 68 का संशोधन किया जा रहा है। [81]
30. उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त, सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा माल की स्वीकृति के लिए उपबंध करने हेतु धारा 69 का संशोधन किया जा रहा है। [82]
31. धारा-74 की उपधारा (1) के खंड (iii) का संशोधन किया जा रहा है जिससे धारा 84 के खंड (क) के प्रति निर्देश को धारा 82 के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके, क्योंकि धारा 82 का वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 104 द्वारा लोप कर दिया गया है। [83]
32. धारा 75 की उपधारा (1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे धारा 84 के खंड (क) के प्रति निर्देश को धारा 82 के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके; क्योंकि धारा 82 का वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 104 द्वारा लोप कर दिया गया है। [84]
33. अध्याय 11 की नामावली संशोधित की जा रही है जिससे कि कुरियर के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके। [85]
34. प्राधिकृत कुरियर के माध्यम से आयातित या निर्यातित मालों के संबंध में प्रतिनिर्देश को सम्मिलित करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जा रहा है। धारा में वर्तमान उपबंध केवल डाक द्वारा आयातित या निर्यातित मालों के संबंध में है। [86]
35. कुरियर द्वारा आयातित या निर्यातित मालों के संबंध में विनियम बनाने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए धारा 84 का संशोधन किया जा रहा है। धारा में वर्तमान उपबंध केवल डाक द्वारा आयातित या निर्यातित मालों के संबंध में है। [87]
36. एक नया अध्याय 12 क तथा उसमें धारा 99क का अंतःस्थापन किया जा रहा है जो संपरीक्षा से संबंधित उपबंधों से संबंधित है। [88]
37. 'नियंत्रित परिदान' से संबंधित एक नई धारा 109क का अंतःस्थापन किया जा रहा है जो भारत या विदेश में स्थित किसी स्थान में मालों के किसी परेषण के नियंत्रित परिदान को करने के लिए उचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए है। यह धारा स्पष्टीकरण द्वारा नियंत्रित परिदान की परिभाषा का भी उपबंध करता है। यह और उपबंध करता है कि नियंत्रित परिदान मालों के ऐसे परेषण को और ऐसी रीति में लागू होता है जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए। [89]

38. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है:-
- (क) उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध का प्रतिस्थापन या उपबंध करने के लिए किया जा रहा है कि, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त छह मास से अनधिक अवधि द्वारा अवधि को छह मास बढ़ा सकेगा और उक्त उपधारा में वर्णित सीमा की अवधि के अवसान के पूर्व उस व्यक्ति को सूचना दे सकेगा जिससे ऐसे माल को जब्त किया गया है। [90]
- (ख) उपधारा (2) में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 110क के अधीन जब्त मालों के अनन्तिम निर्मुक्ति के लिए कोई आदेश पारित किया गया है, उपधारा (2) में वर्णित छह मास की पूर्वोक्त अवधि लागू नहीं होगी।
39. धारा 122 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि अधिसूचना द्वारा संयुक्त आयुक्त की रैंक से अन्यून अधिकारियों द्वारा मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए धनीय सीमा नियत करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए विद्यमान खंड (ख) और (ग) को अंतःस्थापित किया जा सके। [91]
40. धारा 124 का संशोधन किया जा रहा है जिससे विनियमों के माध्यम से यथा विहित रीति में ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुपूरक कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके। [92]
41. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है:
- (क) जहां धारा 28 में वर्णित शोध्यों के संदाय करने के आधारों पर नोटिसी/सह नोटिसी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग बंदकर दी गई है, तो उस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि मालों का प्रतिषेध या निर्बंधन नहीं किया जाता, का उपबंध करने के लिए उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित करना; [93]
- (ख) जहां विमोचन जुर्माना उपधारा (1) के अधीन दिए गए विकल्प की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है, तो ऐसा विकल्प, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील लंबित है, शून्य हो जाएगा, का उपबंध करने के लिए उपधारा (3) का अंतःस्थापित करना;
- (ग) एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना कि जिस तारीख को वित्त अधिनियम, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करना और ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित नहीं है, तो उस तारीख से जिसको सहमति प्राप्त होती है, एक सौ बीस दिन के भीतर ऐसे विकल्प का उपयोग किया जा सकेगा;
42. मामलों के विनिर्दिष्ट वर्ग में मूल-न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामला वापस करके के लिए आयुक्त (अपील) को अनुज्ञात करने के लिए धारा 128 क का संशोधन किया जा रहा है, अर्थात्: [94]
- i. जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किए बिना कोई आदेश या विनिश्चय पारित किया गया है; या
- ii. जहां धारा 17 के अधीन पुनःमूल्यांकन के पश्चात् कोई आदेश या विनिश्चय पारित किया गया है; या
- iii. जहां धारा 27 के अधीन प्रतिदाय का आदेश जारी किया गया है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष अभिलेखबद्ध किए बिना निधि को रकम का प्रत्यय करना;
43. (क) आयात और निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया में पारदर्शिता के अनुक्षण; या [95]
- (ख) आयात या निर्यात के लिए प्रविष्टि मालों की त्वरित स्वीकृति या निर्मुक्ति; या
- (ग) आयात या निर्यात मालों की स्वीकृति की संव्यवहार लागत में कमी; या
- (घ) सीमा शुल्क नियंत्रण और वैध व्यापार को सुकर बनाने के बीच संतुलन बनाए रखने;
44. निम्नलिखित के लिए सूचना के विनिमय हेतु पारस्परिक व्यवस्था पर एक नई धारा 151ख का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे:
- (क) केन्द्रीय सरकार को किसी देश की सरकार या उस देश के ऐसे सक्षम प्राधिकारी के साथ जिसे वह ठीक समझे करार करने या कोई अन्य ठहराव करने के लिए प्राधिकृत करना, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उस देश में तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन व्यापार को सुकर बनाने, सीमा शुल्क अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने और व्यापार को सुकर बनाने के लिए सूचना के आदान-प्रदान, प्रभावी जोखिम विश्लेषण, अनुपालन और विरोध के सत्यापन, अपराधों से मुकाबला और अन्वेषण; [96]
- (ख) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करना कि संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ पारस्परिक करार या ठहराव किया गया है, इस धारा का लागू होना ऐसी शर्तों अपवादों या पात्रताओं के अधीन होगा, जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ग) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों और कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग करना;

- (घ) जहां केन्द्रीय सरकार चिन्हित किए गए मामलों में अनुपालन के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए सूचना या दस्तावेजों के आदान-प्रदान हेतु बहुआयामी करार करती है, तो बोर्ड ऐसे आदान प्रदान के लिए वे शर्तें जिनके अधीन ऐसा आदान प्रदान किया जाएगा और उस व्यक्ति का पदनाम जिसके माध्यम से ऐसी सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा की प्रक्रिया के विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ङ) एक समझा गया उपबंध अंतःस्थापित करना कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तीख से पूर्व जिसको वित्त विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, इस धारा के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा;
- (च) इस धारा में निर्दिष्ट 'संविदाकारी राज्य' और 'तत्स्थानी विधि' की परिभाषा अंतःस्थापित करना;

45. धारा 153 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे इसे परिदान के वैध तरीकों के रूप में स्पीड पोस्ट, कुरियर और रजिस्टर्ड ईमेल को सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 169 के उपबंधों के साथ संरेखित किया जा सके और ऐसे माध्यमों द्वारा सर्विस न होने की दशा में, सीमा शुल्क हाउस के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के अतिरिक्त कारबार या निवास के पिछले ज्ञात स्थान पर किसी दृश्यमान स्थान पर चिपकाने का भी उपबंध करता है।

[97]

46. धारा 157 का संशोधन निम्नलिखित के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए किया जा रहा है:

- (क) प्रविष्टि बिल, जहाजरानी बिल, निर्यात बिल आयात मालसूची, आयात रिपोर्ट, निर्यात मालसूची, निर्यात रिपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट की घोषणा, नौका नोट और तटीय मालों के बिल
- (ख) अन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप देने का समय और रीति;
- (ग) प्री नोटिस परामर्श देने की रीति;
- (घ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन और अनुपूरक नोटिस जारी करने की रीति;
- (ङ) अध्याय 5ख के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें अग्रिम विनियमन या अपील के लिए आवेदन किया जाएगा, और प्राधिकारी के लिए प्रक्रिया;
- (च) आयातित या निर्यातित मामलों की स्वीकृति या हटाने की रीति;
- (छ) आयातित मामलों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज;
- (ज) इलेक्ट्रानिक नकद बही में निक्षेप के लिए शर्तें, निर्बंधन और नीति, उपयोग और उससे प्रतिदाय और ऐसी बही के रखरखाव की रीति;
- (झ) संपरीक्षा करने की रीति;
- (ञ) नियंत्रित परिदान के लिए माल और उसकी रीति;
- (ट) उपाय और सरलीकृत या विभिन्न प्रक्रियाएं या आयातकों या निर्यातकों के वर्ग के लिए माल के प्रवर्ग या माल के परिवहन के माध्यम के आधार पर दस्तावेजी;

[98]

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त अधिनियम, 2017 का खंड
---------	--------	-------------------------------

1. धारा 3 का संशोधन किया जा रहा, जिससे कि:-

- (क) उपधारा (7) का संशोधन करके उपधारा (8क) के निर्देश को सम्मिलित किया जा सके;
- (ख) नई उपधारा (8क) का अंतःस्थापन माल के मूल्य को उपबंध करता है, जब उनका एकीकृत कर को संगणित करने के लिए भांडागारण अवधि के भीतर विक्रय किया जा सके;
- (ग) उपधारा (9) का संशोधन करके उपधारा (10क) के निर्देश को सम्मिलित किया जा सके;
- (घ) नई उपधारा (10क) का अंतःस्थापन माल के मूल्य को उपबंध करता है, तब उनका, माल और सेवा कर प्रतिकर उपष्कर को संगणित करने के लिए भांडागारण अवधि के भीतर विक्रय किया जा सके।

[100]

3. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 [वित्त अधिनियम, 2018 का खंड 101(क)] की पहली अनुसूची में संशोधन
संशोधन

क. बीसीडी की दरों को प्रभावित करने वाले संशोधन [2 फरवरी, 2018 से प्रभावी]* [वित्त विधेयक, 2018 शुल्क की दर का खंड 10(क)]

क्र. सं.	शीर्ष, उपशीर्ष टैरिफ	वस्तु	से	तक
----------	----------------------	-------	----	----

खाद्य प्रसंस्करण

1.	2009 21 00 2009 9000	करौंदा जूस समेत फलों के जूस और सब्जियों के जूस	30%	50%
----	-------------------------	--	-----	-----

सुगंध सामग्री और प्रसाधन निर्मितियां

2.	3303	सुगंध सामग्री और प्रसाधन जल	10%	20%
3.	3304	सौंदर्य या रूप सज्जा निर्मितियां और त्वचा की परिचर्या के लिए निर्मितियां (औषध द्रव्य से मिल) जिनके अंतर्गत धूपरोधक लेप या धूप रंग निर्मितियां हैं; नख प्रसाधन या पाद-प्रसाधन निर्मितियां	10%	20%
4.	3305	केशों पर उपयोग के लिए निर्मितियां	10%	20%
5.	3306	मुखी और दंत स्वास्थ्य निर्मितियों जिनके अंतर्गत दंतावली स्थायीकर पेस्ट और चूर्ण हैं; पृथक फुटकर पैकेजों में दांतों को साफ करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत प्लास)	10%	20%
6.	3307	क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर-पश्च निर्मितियां शारीरिक गंधहारक स्नान निर्मितियां, रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित कक्ष गंधहारक, चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली है या नहीं	10%	20%

ऑटोमोबाइल पुर्जे

7.	4011 2010	ट्रक और बस के बातिल टायर	10%	15%
8.	8407, 8408 8409 8483 1091 8483 1092 8511, 8708 8414 10	मोटर यान, मोटर कार, मोटरसाइकल के विनिर्दिष्ट पुर्जे/उपसाधन	7.5%/10%	15%

जूतादि

9.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	जूतादि	10%	20%
10.	6406	जूतादि के भाग	10%	15%

कीमती रत्न, आभूषण

11.	7117	नकली आभूषण	15%	20%
-----	------	------------	-----	-----

इलेक्ट्रॉनिक/हार्डवेयर

12.	8517 12	सेलूलर मोबाइल फोन	15%	20%
-----	---------	-------------------	-----	-----

13.	3919 90 90, 3920 99 99, 3926 9091, 3926 9099, 4016 9990, 7318 1500, 7326 9099; 8504, 8506, 8507, 8517 7090, 8518, 8538 9000, 8544 19, 8544 42, 8544 49	सेलुलर मोबाइल फोन की बैटरी के विनिर्दिष्ट पुर्जे और उपसाधन जिसके अंतर्गत लीथियम इऑन है	7.5%/10%	15
14.	8517 6290	स्मार्ट घड़िया/पहनने योग्य युक्तियां	10%	20%
15.	8529 1099 8529 9090	एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी पैनल और एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी टी.वी. के अन्य पुर्जे	7.5%/10%	15%

फर्नीचर

16.	9401	सीट तथा सीट के पुर्जे [वायुयान की सीटें और उनके पुर्जे से भिन्न]	10%	20%
17.	9403	अन्य फर्नीचर और पुर्जे	10%	20%
18.	9404	गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज-समान	10%	20%
19.	9405	लैंप और प्रकाश फीटिंग, प्रदीप्त चिन्ह, प्रदीप्त नामपट्ट और वैसे ही वस्तुएं [सौर लालटेन या सौर लैंप के सिवाय]	10%	20%

घड़ियां और बड़ी घड़ी

20.	9101, 9102	कलाई घड़िया, जेब घड़िया और अन्य घड़िया, जिसके अंतर्गत विराम घड़िया भी हैं	10%	20%
21.	9103	घड़ी संचलन सहित बड़ी अलार्म घड़ियां भी हैं	10%	20%
22.	9105	अन्य बड़ी घड़िया जिसमें बड़ी अलार्म घड़िया भी हैं	10%	20%

खिलौने और खेल

23.	9503	ट्राईसाइकल, स्कूटर, पैडल कार और वैसे ही पहिएदार खिलौने; गुड़िया वाहन; गुड़िया; अन्य खिलौने; सभी प्रकार की पहेलियां	10%	20%
24.	9504	वीडियो गेम कनसोल और मशीनें, मनोरंजन, टेबल या कक्ष खेलों के लिए वस्तुएं, और स्वचालित बाउलिंग वीधी उपस्कर है	10%	20%
25.	9505	उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन वस्तुएं	10%	20%
26.	9506 [9506 91]	खेलकूद या बहिरंग खेलों के लिए वस्तुएं और उपस्कर, तरण ताल और पडेलन ताल [सामान्य शारिरिक व्यायाम, व्यायाम या खेलकूद के लिए वस्तुओं और उपस्कर के सिवाय]	10%	20%
27.	9507	बी मत्स्य कांटा और डोरी मत्स्य कंटिया, मत्स्य स्थलन जाल, तितली जाल और वैसे ही जाल; प्रलोभक पक्षी और वैसे ही आखेटन और निशाने-बाजी के सामान	10%	20%
28.	9508	चक्कर, झूले निशानेबाजी, दीर्घाएं और अन्य मेला स्थल विनोद; चल सर्कस और चल प्रयोगशालाएं	10%	20%

प्रकीर्ण मदें

29.	3406	मोमबत्ती, टैपर और वैसी ही वस्तुएं	10%	25%
30.	4823 9090	पतंगें	10%	20%
31.	9004 10	धूप के चश्मे	10%	20%
32.	9611	तारीख, मुद्रांकन या संख्यांकन स्टांप; और वैसी ही वस्तुएं	10%	20%
33.	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या वैद्युत हैं या नहीं और उनके पुर्जे, फिल्टर और बत्ती से भिन्न	10%	20%
34.	9616	इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष; श्रृंगार या प्रसाधन निमित्तियों के उपयोग के लिए पाउडर-पक और पैड	10%	20%

ख. ड्यूटी की दरों को प्रभावित न करने वाले संशोधन [2 फरवरी, 2018 से प्रभावी] [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 101(क)]

1.	85076000	लीथियम-इऑन बैटरियों पर बीसीडी की टैरिफ दर [लीथियम-इऑन बैटरियों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर] [सेलुलर मोबाइल फोन के लिए उन के सिवाय] 10% पर अपरिवर्तित रहेंगी।	10%	20%
2.	9018, 9019, 9020, 9021 9022	चिकित्सीय युक्तियों पर बीसीडी की टैरिफ दर, [तथापि, ऐसी चिकित्सीय युक्तियों पर बीसीडी को प्रभावी दरें, अपरिवर्तित रहेंगी।]	7.5%	10%

ग. ड्यूटी की दरों को प्रभावी न करने वाले तकनीकी संशोधन* [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 101(क)]

1.		मूंग दाल और उड़द दाल के लिए प्रत्येक पृथक टैरिफ मदों के सृजन के लिए विभक्त टैरिफ मद 0713 3100		
2.		टैरिफ मद 0904 2212 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप और केपसिकम वंश के चीली बीज के संबंध में नई टैरिफ मद 1209 9170 का सृजन		
3.		समावयवी जो इसके अंतर्गत हैं को विनिर्दिष्ट करने के लिए टैरिफ मद 2917 3920 का		

*अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण शीघ्र प्रवृत्त होगा।

4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	शुल्क की दर
		से तक
क.	निर्यात शुल्क की दरों को न प्रभावी करने वाले संशोधन	
1.	सभी अन्य माल जो अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन आच्छादित नहीं है के संदर्भ में शून्य शुल्क दर को विनिर्दिष्ट करने के लिए नए नोट का अंतःस्थापन [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 102 (क)]	- -
2.	इलेक्ट्रोड के प्रकार के उपयोग के लिए भ्राष्ट [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 102 (ख)]* [भ्राष्ट (8545 1100) के उपयोग के लिए इलेक्ट्रोड के एक प्रकार पर आयात शुल्क के 20% टैरिफ दर का प्रवेश। तथापि ऐसे इलेक्ट्रोड पर आयात शुल्क की प्रभावी दर शून्य रहेगी]	- 20%

*अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण शीघ्र प्रवृत्त होगा।

5. मूल सीमा-शुल्क दरों में अर्न्तवलित परिवर्तनों के अन्य प्रस्ताव

क्र.सं.	शीर्ष, उपशीर्ष वस्तु टैरिफ मद	से	तक
खाद्य प्रसंस्करण			
1.	08013100 छिलके वाला काजू (कच्चा काजू)	5%	2.5%
2.	20091100 संतरे के फल का रस 20091200 20091900	30%	35%
3.	2009 8100 करोंदा जूस 2009 9000	10%	50%
4.	210690 प्रकीर्ण खाद्य तैयार करना (सोया प्रोटीन से भिन्न)	30%	50%
वस्त्र			
5.	5007 रेशम फैब्रिक	10%	20%
पूंजी माल और इलैक्ट्रानिक्स			
6.	85049099 चार्जर/अडेप्टर और सेल्यूलर मोबाईल फोन के चार्जर/अडेप्टर की माडयूल की हुई प्लास्टिक 39269099	शून्य	10%
7.	कोई अध्याय सेल्यूलर मोबाईल फोन के चार्जर/अडेप्टर के (क) पीसीबीए, या (ख) माडयूल की हुई प्लास्टिक के विनिर्माण के लिए इनपुट और पुर्जे	लागू दर	शून्य
8.	84834000 गोलिका पेंच, रेखिक गति निर्देशिका, 8456 से 8463 तक उपशीर्ष के अधीन 84669390 आने वाले सीएनसी मशीनी औजारों के सभी प्रकार के विनिर्माण के लिए 85371000 सीएनसी तन्त्र	7.5%	2.5%
9.	70 सौर बैटरी/पेनलों/माडयूलों के विनिर्माण के लिए सौर पायित कांच या सौर पायित [अपरावर्तीय विलेदित] ।	5%	शून्य
10.	70 संचार श्रेणी प्रकाशिक फाईबर या प्रकाशिक फाईबर केबल के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीलिका का उपयोग	शून्य	5%
11.	8529/4016 एलसीडी/एलईडी टीवी पेनलों में विनिर्माण हेतु 12 विनिर्दिष्ट पुर्जे	शून्य	10%
आटोमोबाईल और आटोमोबाईल पुर्जे			
12.	8702, 8703 मोटर यान, मोटर कार, मोटर साईकिल का सीकेडी आयात 8704, 8711	10%	15%
13.	8702, 8704 मोटर यान सीबीयू आयात	20%	25%
कीमती रत्न, आभूषण			
14.	71 काटे और पालिश किये गये बहुमूल्य रत्न	2.5%	5%
15.	71 हीरक जिसमें प्रयोगशाला में निर्मित अर्ध-प्रसंस्करित, हीरक आधे कटे और टूटे हुए हीरक भी सम्मिलित हैं; अन-औद्योगिक हीरक सहित जिनमें काटे और पालिश किये गये हीरक (खराब हीरक से भिन्न) प्रयोगशाला में निर्मित हीरक भी सम्मिलित है	2.5%	5%
चिकित्सीय युक्तियां			
16.	कोई अध्याय कॉकलर इम्प्लांट के विनिर्माण के लिए कच्चा माल, पुर्जे या उपसाधन	2.5%	शून्य
सीमा-शुल्क दरों में सुव्यवस्थीकरण			
वनस्पति से उत्पन्न खाद्य तेल			
17.	1508, 1509 अपरिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल जैसे मूंगफली तेल, जैतून का तेल, कपास का तेल,	12.5%	30%

1510, 1512 1513, 1515	कुसुंभ का तेल, बिनौले का तेल, नारियल का तेल, खजूर/बाबसू का तेल, अलसी का तेल, मक्का का तेल एरंड का तेल, शीशम का तेल, अन्य स्थिर वनस्पति वसा और तेल		
18. 1508, 1509 1510, 1512 1513, 1515 1516 20 1517 1021 1517 9010 1518 0011 1518 0021 1518 0031	परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल जैसे मूंगफली तेल, जैतन का तेल, कपास का तेल, कुसुंभ का तेल, बिनौले का तेल, नारियल तेल, खजूर/बाबूल का तेल, अलसी का तेल, मक्का का तेल, एरंड का तेल, शीशम का तेल, अन्य स्थिर वनस्पति वसा और तेल वनस्पति प्रथा जो के खाद्य मार्गशीन साल वसा, 1518 शीर्षक के विनिर्दिष्ट माल	20%	35%
उच्चतापसह मद			
19. 68159100	रत्न की अन्य वस्तुएं जिनमें मेग्नीसाईट, डोलोमाइट या क्रोमाईट अर्न्तवलिप्त है	10%	7.5%
20. 6901	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण की या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें, ब्लाक, टाइल और अन्य चीनी मिट्टी के माल	10%	7.5%
21. 6902	उच्चतापसह ईटें, ब्लाक, टाइलें और वैसी ही उच्चतापसह चीनी मिट्टी के सन्निर्माण माल, उनसे भिन्न जो सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के हैं	5%	7.5%
22. 6903	अन्य उच्चतापसह चीनी मिट्टी के माल	5%	7.5%

6. आयतित माल पर सीमाशुल्क के रूप में सामाजिक कल्याण अधिभार का उदग्रहण [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 108]

क्र. सं.	शीर्ष, उपशीर्ष टैरिफ मद	वर्णन	से	तक
1.	कोई अध्याय	वित्त शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए आयतित माल पर कुल सीमाशुल्क पर सामाजिक कल्याण अधिभार का उदग्रहण [वित्त विधेयक 2018 या खंड 108]	-	10% सीमाशुल्क के कुल का
2.	कोई अध्याय	आयातित माल पर शैक्षणिक उपकरण और उच्चतर और उच्च शैक्षणिक उपकरण का उन्मूलन [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 106]	3%	शून्य सीमाशुल्क के कुल का [2% + 1%]
3.	2710	सामान्यतः पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रीट पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट	-	3% सीमाशुल्क के कुल का
4.	7106	रजत (जिसके अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम लेपित रजत है) अनगढ़ या अधर्विनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	-	3% सीमाशुल्क के कुल का
5.	7108	स्वर्ण (जिसके अंतर्गत प्लेटिनम से लेपित स्वर्ण है) अनगढ़ या अधर्विनिर्मित रूप से या चूर्ण रूप में	-	3% सीमाशुल्क के कुल का
6.	कोई अध्याय	आयातित माल पर शैक्षणिक उपकरण और उच्चतर और उच्च शैक्षणिक उपकरण से छूट प्राप्त अब तक विनिर्दिष्ट माल	-	शून्य

7. सड़क और अवसंरचना उपकरण का उदग्रहण [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 109]

क्र. सं.	शीर्ष, उपशीर्ष टैरिफ मद	वर्णन	से	तक
1.	2710	सामान्यतः पेट्रोल और हाई स्पीड तेल के रूप में ज्ञात आयतित माटर स्प्रीट पर सड़क और अवसंरचना उपकरण का उदग्रहण [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 109]	-	8 रुपये प्रति लीटर

2.	2710	सामान्यतः पेट्रोल और हाई स्पीड तेल के रूप में ज्ञात घरेलू रूप से उत्पादित मोटर स्प्रिट पर प्रस्तावित सड़क और अवसंरचना उपकरण के बदले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट	-	शून्य
3.	2710	सामान्यतः पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में आयतित ज्ञात मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क [सड़क उपकरण] का उन्मूलन [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 106]	6 रुपये प्रति लीटर	शून्य
4.		मूल उत्पाद शुल्क के बदले सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन अतिरिक्त सीमा शुल्क		
	2710	(i) पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट	6.48 रुपये प्रति लीटर	4.48 रुपये प्रति लीटर
	2710	(ii) हाई स्पीड डीजल तेल	8.33 रुपये प्रति लीटर	6.33 रुपये प्रति लीटर

उत्पाद शुल्क

टिप्पण: “मूल उत्पाद शुल्क” से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में नियम उत्पाद शुल्क से अभिप्रेत है।

1. उत्पाद शुल्क दरों में अंतर्वलित परिवर्तन के प्रस्ताव

क्र. सं.	शीर्ष, उपशीर्ष टैरिफ	वस्तु	शुल्क की दर से तक	
1.		पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट		
1.		सामान्यतः पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट पर सड़क और अवसंरचना उपकरण का उग्रहण [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 110]	-	8 रुपये प्रति लीटर
2.		पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क [सड़क उपकरण] का उन्मूलन [वित्त विधेयक, 2018 का खंड 106]	6 रुपये प्रति लीटर	शून्य
3.		मूल उत्पाद शुल्क पर:		
		(i) अब्राण्डित पेट्रोल	6.48 रुपये प्रति लीटर	4.48 रुपये प्रति लीटर
		(ii) ब्राण्डित पेट्रोल	7.66 रुपये प्रति लीटर	5.66 रुपये प्रति लीटर
		(iii) अब्राण्डित डीजल	8.33 रुपये प्रति लीटर	6.33 रुपये प्रति लीटर
		(iv) अब्राण्डित डीजल	10.69 रुपये प्रति लीटर	8.69 रुपये प्रति लीटर

- | | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 4. | इस शर्त के अधीन कि ऐसे मिश्रण को तैयार करने के लिए उपयोग किये गए पेट्रोल या डीजल पर समुचित उत्पाद शुल्क को संदत्त कर दिया है और एथनॉल और जैविक-डीजल पर समुचित जीएसटी को संदत्त कर दिया है, निम्नलिखित पर सड़क और अवसंरचना उपकर- | - | शून्य |
| | (i) 5% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल | | |
| | (ii) 10% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल | | |
| | (iii) 20% के आयतन तक, जैविक-डीजल | | |
| 5. | उत्तर-पूर्व में अवस्थित 4 विनिर्दिष्ट परिष्करणशाला में विनिर्मित और से निकासित पेट्रोल और डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर | - | 4 रुपये प्रति लीटर |

सेवा कर

क्र.	भूतलक्षी छूटें	वित्त विधेयक, 2018 के खंड
1.	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीम के अधीन तटरक्षक के कार्मिक को जीवन बीमा कारबार के माध्यम से नौ सेना समूह बीमा की दी गई या दिये जाने के लिए सहमत सेवाओं को 10 सितंबर, 2004 से आरम्भ होकर 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर से छूट दिये जाने का प्रस्ताव है।	[103]
2.	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएस) द्वारा उपबंध किए जाने के लिए सहमत या प्रदान की गई सेवाएं 28 मार्च, 2013 में प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 की समाप्ति की अवधि के लिए सेवा से छूट के लिए प्रस्ताव किया गया है।	[104]
3.	अनुज्ञप्ति जारी करने का खान पेट्रोलियम कच्चे तेल या प्राकृति गैस या दोनों को पट्टे पर देने के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबंध किए जाने के लिए सहमत या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पेट्रोलियम के लाभ में सरकार का हिस्से के प्ररूप में सरकार को संदेय प्रतिफल, में 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने और 30 जून, 2017 की समाप्ति की अवधि के लिए सेवाकर से छूट प्रदान की जा रही है।	[105]

IV. प्रकीर्ण

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2018 के खंड
---------	--------	---------------------------

क. सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 50/2017 में संशोधन

- | | | |
|----|---|--------------|
| क. | अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा शुल्क तारीख 30 जून, 2017 के संशोधन अधिसूचना सं. 65/2017 सीमा शुल्क तारीख 8 जुलाई, 2017 में भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव करती है जिससे, उक्त आपूर्ति पर आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर के संदाय के अध्यक्षीन 1 जुलाई, 2017 से 7 जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान सीमापार पट्टा के आधीन वायुयान, वायुयान इंजन और आयात किये जाने वाले अन्य वायुयान के हिस्सों पर सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3(7) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से छूट प्रदान की जा सके। | [99] |
| ख. | केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का पुनःनामित किया जाना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का नाम, निम्नलिखित अधिनियमों में केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड के लिए पारिणामिक संशोधनों के साथ किया जा रहा है:— | [157 और 218] |
| | (i) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) | |
| | (ii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) | |
| | (iii) केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 12) | |

ग. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

1. सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 की धारा 103 के निरसन द्वारा समाप्त किया जा रहा है। [106]
 2. सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 की धारा 111 के निरसन द्वारा समाप्त किया जा रहा है। [106]
 3. उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के निरसन द्वारा समाप्त किया जा रहा है। [106]
 4. उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के निरसन द्वारा समाप्त किया जा रहा है। [106]
 5. आयात किए गए माल पर शिक्षा उपकर को वित्त अधिनियम (सं. 2), 2004 के अध्याय 6 का लोप करके समाप्त किया जा रहा है। [106]
 6. निर्यात किए गए माल पर उच्चतर और उच्च शिक्षा उपकर को वित्त अधिनियम, 2007 के अध्याय 6 द्वारा लोप करके समाप्त किया जा रहा है। [106]
-